अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

(Minority Benefits)

महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए
योजनाओं का संग्रह

–बबीता जैन

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

(Minority Benefits)

महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए योजनाओं का संग्रह

लेखिका
बबीता जैन

प्रकाशक :
श्रुत संवर्द्धन संस्थान
प्रथम तल, 247 दिल्ली रोड, मेरठ-250002

आचार्य 108 श्री शांतिसागर 'छाणी' महाराज की गौरवशाली परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य
प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरूवर आचार्यरत्न 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के
प्रथम समाधि दिवस पर प्रकाशित

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए योजनाओं का संग्रह

श्रुत संवर्द्धन संस्थान, 2021

पुण्यार्जक :
श्रीमान सुशील कुमार जैन संजय कुमार जैन
कलश ज्वेलर्स, मेरठ (उ०प्र०)

प्रथम संस्करण : 2021, 1100 प्रतियाँ

न्योछावर राशि : ₹100/- (पुनर्प्रकाशन हेतु)

प्राप्ति स्थान :

श्रुत संवर्द्धन संस्थान
प्रथम तल, 247 दिल्ली रोड
मेरठ- 250002 (उ०प्र०)

संस्कृति संरक्षण संस्थान
32/3C कांति नगर एक्सटेंशन
दिल्ली- 110051
फोन : 9811350254, 9312243845

प्राच्य श्रमण भारती
12/ए निकट जैन मंदिर
प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर- 251001 (उ०प्र०)

आशीर्वचन

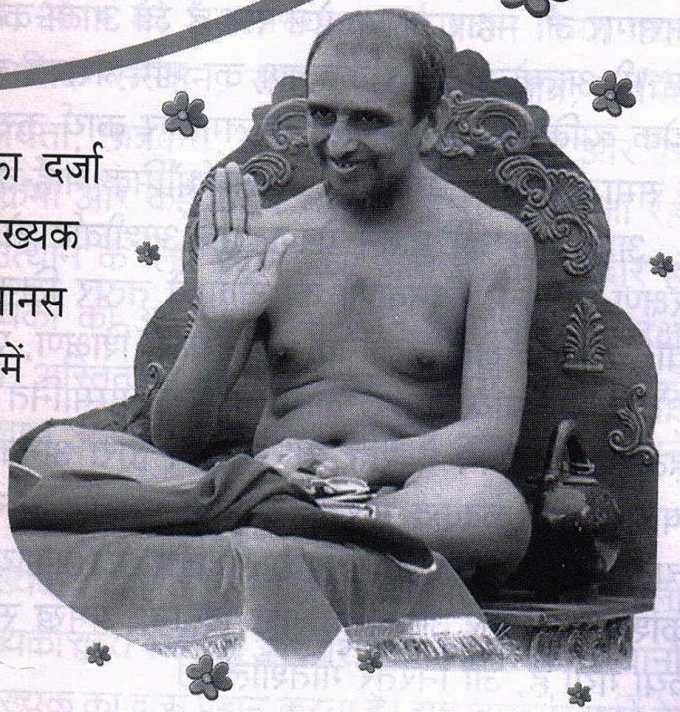

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलने के बाद सरकार द्वारा दी जा रही अल्पसंख्यक सुविधाओं की जानकारी समाज के समस्त जनमानस तक पहुँचाना अति आवश्यक है। इस विषय में श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री सुरेश जैन, (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी) श्रीमती बबीता जैन एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य सराहनीय हैं।

इसी क्रम में बबीता जी ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी संकलित करके इस पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक समाज के सभी वर्गों को एवं खासकर वंचित व्यक्तियों तक पहुँचकर उन्हें अल्पसंख्यक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी जिससे वे लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

आज समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और समाज को जागरूक करने का दायित्व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का है। अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रयोग करके हम समाज के अल्प आय वर्ग के लोगों को सामान्य धारा में ला सकें, ऐसी आशा है।

इस कार्य के लिए बबीता जी को शुभाशीष प्रदान करते हुए समाज के सभी वर्गों के प्रति अपना आशीर्वचन प्रेषित करता हूँ।

–आचार्य ज्ञानसागर

बोर्ड इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के छात्रों को इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति प्रदान करता है। साथ ही बोर्ड कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई करने वाली लड़कियों को प्राकृतिक और मूल विज्ञान के पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। डॉ० अंबेडकर फांउडेशन 10 वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉपोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, फांउडेशन फॉर अकादमिक एक्सीलेंस, केसीए महिंद्रा शिक्षा ट्रस्ट, कई अन्य धार्मिक ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठन अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं। विभिन्न बैंक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएमसी) पेशेवर और तकनीकी अध्ययनों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, शिक्षा ऋण पर ब्याज पर पूर्ण सब्सिडी का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व-रोजगार और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करना है। एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड दो लाख रूपये है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष 6 से 9 प्रतिशत ब्याज दर पर लाभार्थी को 20 से 30 लाख तक ऋण उपलब्ध है।

विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (www.mhrd.gov.in) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (www.minortyaffairs.gov.in) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था, आयोग (www.ncmei.gov.in), मौलाना आजाद एजूकेशन फांउडेशन (www.maef.nic.in) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (www.ugc.ac.in) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (www.cbse.nic.in), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (www.nmdfc.org) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (www.nios.ac.in) इत्यादि भी बेवसाइट देखें।

–बबीता जैन

आभार/स्वीकृतियाँ

मैं आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अल्पसंख्यक समुदायों के विभिन्न लाभों के बारें में, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी एकत्र करने और अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से जैन समुदाय की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए पुस्तक के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे विभिन्न बेवसाइटों, पुस्तकों से इस तरह की जानकारी एक ही स्थान पर संग्रहित करने में सहयोग प्रदान किया। मुझे अपनी टिप्पणी की पेशकश की, पढ़ने, लिखने, संपादन और डिजाइन में सहायता प्रदान की।

मैं अपने परिवार के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हर समय अपना समर्थन दिया और उनके समय में से कुछ समय पुस्तक को देने के बावजूद मुझे प्रोत्साहित किया। जानकारी का संग्रह एवं उसका संकलन एक लंबी एवं कठिन यात्रा थी। मैं चयन, प्रारूप और संपादन की प्रक्रिया में प्रारंभ में मेरी सहायता करने के लिए श्री प्रदीप कुमार जैन, श्री अनुज कुमार जैन और श्री किशोर कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगी। आकर्षक तरीके से व्यापक अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करने के लिए मैं श्रुत संवर्धन संस्थान की आभारी हूँ। श्री हंस कुमार जैन के लिए विशेष धन्यवाद जो मूल अंग्रेजी संस्करण व्यापक पुस्तक के रूप में लेकर आए और मुझे आम जनता की जानकारी के लिए इन छोटी और आसान पुंस्तकों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज के लिए एक बार फिर धन्यवाद जिनके आदेश एवं मार्गदर्शन के बिना इन पुस्तकों का प्रकाशन संभव नहीं था और यह पुस्तकें अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित लोगों जो वास्तविक अर्थों में इन छात्रवृत्तियों, ऋणों, अनुदान आदि के पात्र हैं, की मदद करने के लिए, कभी भी नहीं आ पाती।

मूल अंग्रेजी संस्करण के हिंदी अनुवाद में मेरे सहयोग के लिए श्रीमती अनुभा जैन यमुनानगर का आभार जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी समय दिया और हिंदी अनुवाद लाने में सहयोग प्रदान किया।

और अंत में मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए क्षमा माँगना चाहूँगी जो इस पुस्तक के प्रकाशन में वर्षों से मेरे साथ रहे और मुझे सहयोग प्रदान करते रहे परंतु जिनका नाम मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर पाई हूँ।

विषय सूची

क्रम सं०	अध्याय का नाम	पेज नं०
(i)	आशीर्वचन	iii
(ii)	प्रकाशकीय	iv
(iii)	प्रस्तावना	v-vi
1.	राजपत्र अधिसूचना आदेश/ कार्यालय ज्ञापन	1-7
2.	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15– सूत्रीय कार्यक्रम	8-16
3.	प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन कवर की गई योजनाएँ	17-20
4.	मेधावी छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्तियाँ	21-24
5.	गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान	25-28
6.	नई रोशनी	29-52
7.	व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आईबीए मॉडल ऋण योजना...	53-57
8.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न—शिक्षा ऋण	58-59
9.	हमारी धरोहर	60-68
10.	हमारी धरोहर योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें	69-75
11.	छात्रवृत्ति एवं सहायता देने वाली जैन संस्थाएँ	76-87
12.	लेखिका के बारे में	88

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) *vide* Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F. No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

390 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

NMDFC

National Minorities Development & Finance Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Minority Affairs)

NMDFC/PROJ/1/2014/300

Dated 18.3.2014

Managing Director
Gujarat Minorities Finance and Development Corporation
Ground Floor Block No.11,
Dr. Jivraj Mehta Bhawan,
GANDHINAGAR - 382 010

573
31 MAR 2014

Sub: Inclusion of Jain as a Minority Community- Reg.

Sir,

The Ministry of Minority Affairs, Govt. of India vide letter no. F. No. 1-1/2009-NCM dated 27 January 2014 has notified that as per S.O. NO. 267 (E) in exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain Community in addition to the five communities already notified as a Minority Communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) vide Ministry of Welfare Notification SO No. 816 (E) dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

In view of the above, the State Channelising Agencies (SCAs) of NMDFC are requested to include Jain Community as a Minority Community in addition to five other Minority Communities (mentioned above) & extend the benefits to the Jain Community as well under NMDFC Schemes.

Thanking you.

Yours faithfully,

(V. Bhaskar) 19/3/14
AGM (S)

Shah (both)
Yasin

31/3/2014

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-1, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092
Regd. Office : 1st Floor, Core 1, Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092
Telephones : 22441435/36/42/43/44/53/55 Fax : 22441441/1438/1452

हिन्दी में पत्राचार का स्वागत है।

F. No. 2/37(2)/2014-SS
Government of India
Ministry of Minority Affairs

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003
Dated 22.08.2014

To

The Principal Secretary/Secretary,
All State Governments/UT Administrations of

_____

Subject: Removal of requirement of Affidavits for Minority Community Certification and Income Certification for availing Scholarships regarding

Sir/Madam,

It has been decided with the approval of Competent Authority in the Ministry that requirement of submission of Affidavit towards (i) Community Certificate and (ii) Income certificate under Pre-matric, Post-matric, and Merit-cum-Means based Scholarship Scheme for students belonging to the notified minority communities have been done away with immediate effect. However, this may not apply for application already received by the State Government/UT Administration under these Schemes.

2. For Community Certificate, self-certification of the student is sufficient while for income certification, only the certificate issued by the Competent Authority of the State/UT concerned will be accepted.

3. It is requested that necessary directions may be issued by the State Government/UT Administration in this regard.

4. Documentation under the Scholarship Schemes for students belonging to the minority community also stands amended.

Yours faithfully,

22/8

(Pradeep Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele no. : 011- 24364310

Copy to:
1. PS to Hon'ble Minister (MA)
2. Sr. PPS to Secretary (MA)
3. PS to Joint Secretary (SS)
4. PPS to Joint Secretary (A&P)
5. Tech. Director (NIC) with the request to upload the letter on the web site of this Ministry in Whats New as well as in the Scheme guidelines of all three Scholarship Schemes.

सं. 1-9/2014-मीडिया

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2015

कार्यालय ज्ञापन

उप. "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" -अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के योजनाओं/कार्यक्रमों में आवेदकों द्वारा दस्तावेजों की स्वघोषणा।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों में आवेदकों से तत्काल प्रभावः से निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वघोषणा/ स्वप्रमाणन/स्व-प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा।

क्र.सं.	योजनाओं का नाम/कार्यक्रम	छात्रों/लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं से प्राप्त दस्तावेज	अधिकारियों जो दस्तावेज एकत्र करना
1.	शैक्षिक योजनाएँ सभी छात्रवृत्ति/ फैलोशिप योजनाओं कोचिंग कार्यक्रम पढ़ो परदेश योजना	(i) धर्म प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) पिछले वर्ष की मार्कशीट	स्कूलों/संस्थानों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य या यूटी सरकारों
2.	नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व लिए योजना	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण-पत्र	गैर-सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएँ
3.	सीखो और कमाओ, कौशल विकास पहल	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण-पत्र	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों
4.	एनएमडीएफसी की ऋण कार्यक्रम	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक ऋण के मामले में पिछले वर्षों की मार्कशीट (iv) कोई अन्य शपथ-पत्र	एनएमडीएफसी और उसके राज्य चैनल एजेंसियों को करना

2. जैसा कि ऊपर तालिका में कॉलम-IV में उल्लेख किया गया है, सभी प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों के सत्यापन पर तब तक जोर दें जब तक कि यह कानून द्वारा अपेक्षित न हो।
3. इस तरह के स्व-प्रमाणिकीकरण/स्व-परीक्षण के लिए आवश्यक प्रारूप पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित है।

एसडी/-
(अनुराग बाजपेयी)
निदेशक

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ शामिल है:- खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक व रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण आदि। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित है।

10. राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जाएगी कि पुलिस कर्मियों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व होने चाहिए।

(ख) केंद्र सरकार भी, केंद्रीय पुलिस बलों में कर्मियों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्यवाही करेगी।

(ग) रेलवे राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजि कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी।

(ग) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक व आर्थिक लक्ष्यों को निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन लाभभोगियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार

(क) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की योजनाओं के अंतर्गत, केंद्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख-सुविधाएँ और मूल सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(ख) शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) योजना, लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधारभूत सुविधा और अवसंरचना के प्रावधान के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक बहुत शहरों/नगरों/जिलों/ब्लॉकों को समान रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

13. साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशलता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटियों में होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन, उनकी पदोन्नति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

14. साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

उन सभी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से दंडित किया जा सके।

15. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुर्नवास

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15- सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश

माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंत्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना।

(ख) मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों पर भर्ती करना।

(ग) अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त हिस्सा सुनिश्चित करके उनकी दशा बेहतर बनाना।

(घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा नियंत्रण एवं रोकथाम।

(ङ) नए कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों को निश्चित रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित समूह में शामिल किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ उचित रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यथानुपात विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं भी संभव हो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय राशि का 15 % अल्संख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(च) कार्यक्रम में उपयुक्त उपायों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा सार्वजनिक क्षेत्र सहित सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखने के प्रयास के रूप में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया है। यह नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।

(छ) कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना के मानदंडों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा इनमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गई है। ये योजनाएं कार्यक्रम मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।

(ज) 15-सूत्रीय कार्यक्रम में व्यक्त शब्द "महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी" उन जिलों/ उप जिला इकाइयों में लागू होता है जहां जिस इकाई की कुल आबादी की न्यूनतम 25 % आबादी अल्यसंख्यक समुदायों से सबंद्ध हो।

(झ) (i) कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बोद्धों तथा जोरोएस्ट्रिन (पारसी) के पात्र वर्ग्रों को शामिल किया गया है।

(ii) उन राज्यों में, जहाँ कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 92) के अधीन अधिसूचित हो, अर्थात् बहुसंख्यक हो तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा। ये राज्य हैं, पंजाब, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड। लक्षद्वीप,जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख इस समूह में शामिल संघ शासित क्षेत्र हैं।

(ञ) नया कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो न्यूनतम भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय होगा।

3. वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय :

कार्यक्रम की जटिलता तथा इसकी व्यापक पहुँच को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी संभव होगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करेगा। इसका विभाजन निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करते हुए देश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही कुल अल्पसंख्यक आबादी को ध्यान में रखकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही आबादी के यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच किया जाएगाः–

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(ii) शहरी क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(iii) अन्यों के लिए, जहां इस प्रकार का अंतर संभव नहीं है, इनकी कुल संख्या पर विचार किया जाएगा।

(ख) पैरा 7 (ख) में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में अन्य बहुसंख्यकों के अलावा सिर्फ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का निर्धारण होगा।

4. इस प्रकार के निर्धारण के लिए निम्नलिखित योजनाएं पात्र हैं:

सूत्र सं. (क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।

(2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाएं।

सूत्र सं. (ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

(7) गरीबों के लिए स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(ख) स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना

(8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन को बढ़ाना

नए आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाना।

(9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(ख) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऋण देना

सूत्र सं. (ग) : अल्पसंख्यकों के जीवनस्तर की दशा में सुधार करना

(11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी
इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

(12) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार
एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनयूआरएम)।

शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसरंचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी)

5. कार्यान्वयन, देखरेख तथा रिपोर्टिंग :

(क) मंत्रालय/विभाग स्तरः

कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालय/विभाग वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय व्यय के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे तथा इनकी देखरेख करेंगे। संबंधित मंत्रालय/विभाग इन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और तिमाही आधार पर कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर :

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के निए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करेंगे। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और इसके सदस्यों में 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन योजनाएं लागू करने वाले विभागों के सचिव और विभाग प्रमुख, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों से संबद्ध ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि तथा ऐसे तीन अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, शामिल होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा से अधिकतम दो सदस्यों तथा राज्य सभा से एक सदस्य को नामित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा दो विधान सभा सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय समिति में शामिल लोक सभा और विधान सभा सदस्यों में से एक सदस्य को उस राज्य के अल्पसंख्यक बहुल किसी क्षेत्र से चुना हुआ होना चाहिए, जिस राज्य में ये अल्पसंख्यक बहुल जिले (एसीडीएम) है। राज्य/संघ क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग 15-सूत्रीय कार्यक्रम की देखरेख के लिए नोडल विभाग बना सकते हैं।

समिति को हर तिमाही में कम-से-कम एक बार अपनी बैठक करनी होगी तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेज सकेंगे।

(ii) **जिला स्तर :** इसी तरह से, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों, अल्पसंख्यकों से संबंद्ध ख्यातिप्रद संस्थानों के तीन प्रतिनिधियों सहित जिले के कलेक्टर/उपायुक्त इसके प्रमुख होंगे। लोक सभा और विधान सभा में संबद्ध जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा ।इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट का राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य/संघ राज्य प्रशासन के अल्पसंख्यक कार्य से संबद्ध विभागों को प्रस्तुत करेगी।

(ख) केन्द्र स्तर :

(i) केन्द्रीय स्तर पर लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख छमाही में एक बार सचिवों की समिति करेगी और अपनी रिपार्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे छमाही में एक बार सचिवों की समिति और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी तिमाही रिपोर्ट अगली तिमाही के पंद्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए एक पुनरीक्षा समिति होगी। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव इस समिति का प्रमुख होगा। प्रगति की समीक्षा करने, फीडबैक प्राप्त करने, समस्याओं को सुलझाने तथा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, इसे समिति की बैठक तिमाही में एक बार होगी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई और प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के अधीन कवर की गई योजनाओं/ कार्यक्रमों/पहलों के ब्यौरे।

1. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें:

(क) शैक्षिक सशक्तिकरण :

(i) छात्रवृत्ति योजनाएं :

(क) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ग) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति

(ii) <u>कोचिंग योजनाएं</u> :

(क) नया सवेरा

(ख) विज्ञान स्ट्रीम के मेधावी छात्रों के लिए अनन्य रूप से नया घटक

(iii) 'नई उड़ान'-संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता।

(iv) 'पढ़ों परदेश'- विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद

(v) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

(vi) <u>मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) जो निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित करता है:</u>

(क) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

(ख) क्षेत्र/अवसंरचना विकास :

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(ग) आर्थिक सशक्तिकरण :

(i) <u>कौशल विकास</u>

(क) 'सीखो और कमाओ' (लर्न एंड अर्न) – अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल।

(ख) विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों मे कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

(ग) 'नई मंजिल' – अल्पसंख्यक समुदायों से युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण।

(घ) महिला सशक्तिकरण :

'नई रोशनी' – अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना।

(ङ) विशेष जरूरतें :

(i) 'हमारी धरोहर' – अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए

(ii) 'जियो पारसी' – छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

(iii) निम्नलिखित के माध्यम से वक्फ प्रबंधन :

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद (ख) राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको)

(iv) हज प्रबंधन

2. प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन कवर की गई अन्य समान मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं/कार्यक्रमः

क्रम. संख्या	कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई योजना/ कार्यक्रम	सच्चर समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कवर की गई योजना/ कार्यक्रम
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग)	सर्व शिक्षा अभियान	सर्व शिक्षा अभियान
		मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)
		अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)
		उर्दू शिक्षण हेतु अधिक संसाधन	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
			साक्षर भारत/मौलाना आजाद तालीम-ए-बालिगान

			जन शिक्षा संस्थान स्थापित करना
			अध्यापकों की शिक्षा के ब्लॉक संस्थानों की स्थापना
			मध्याह्न भोजन योजना
2.	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**	आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	
3.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)	
4.	**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्यादय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)
		शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी)	शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी)
		एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
5.	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन
6.	**वित्तीय सेवाएं विभाग**	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण
			नई बैंक शाखाएं खोलना/ जागरूकता अभियान
7.	**शहरी विकास मंत्रालय**	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)
		लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)	लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)
			शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
			वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट

8.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	
9.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)	अल्पख्यंकों की भर्ती पर विशेष ध्यान देने हेतु दिनांक 08 जनवरी, 2007 के संशोधित दिशा-निर्देश	उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
10.	गृह मंत्रालय	सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी जुलाई 2008 के संशोधित दिशा-निर्देश	" सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति की सुलभता) विधेयक" का अधिनियमन
11.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसारण के लिए मल्टीमीडिया अभियान
12.	सांस्कृतिक मंत्रालय		सीडब्ल्यूसी के साथ वार्षिक बैठक तथा वक्फ स्मारकों का संरक्षण
13.	नीति आयोग (तत्कालीन योजना आयोग		आकलन एवं मानीटरिंग प्राधिकरण का गठन
14.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करना।
15.	पंचायती राज मंत्रालय		ग्रामीण स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
16.	विधि एवं न्याय मंत्रालय		परिसीमन अधिनियम
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		स्थानीय भाषाओं में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

मेधावी छात्राओं के लिए 'मौलाना आजाद' छात्रवृत्तियाँ

इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ संगठन मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्राओं के लिए कार्यान्वित किया जाता है। एमएईएफ 10वीं पास मेधावी छात्राओं से सीधे आवेदन आमंत्रित करता है और 11 वीं और 12वीं कक्षा में आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं:

1. दसवीं की परीक्षा में 55% अंक।
2. माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति पा रही छात्रा इस छात्रवृत्ति की पात्र नहीं होगी।

दो वर्षों अर्थात् 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 6,000/- रु० वार्षिक की दर से अधिकतम 12,000/-रु० की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्र द्वारा आवेदन फार्म प्रतिष्ठान को सीधे डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्रतिष्ठान कार्यालय में 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में सीधे दस्ती द्वारा भेज सकते हैं। किसी सेवा के लिए किसी को भी कोई प्रभार/शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना होता है। निर्धारित कागजात/औपचारिकताओं के पूरा होने पर सफल उम्मीदवार के पते पर छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृति पत्र/चेक पंजीकृत डाक से सीधे ही भेजा जाएगा। विस्तृत ब्यौरे और आवेदन फार्म को डाउनलोड करने के लिए छात्र एमएईएफ की वेबसाइट अर्थात् www.maef.nic.in पर लॉग ऑन करें। इसके अलावा सचिव (एमएईएफ) से दूरभाष संख्या 011-23583788, 23583789 पर संपर्क किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर की गई थी। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 6 जुलाई, 1989 को किया गया था। यह प्रतिष्ठान, एक स्वैच्छिक, अराजनैतिक तथा लाभ न कमाने वाला सामाजिक सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान का उद्देश्य, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषतः अल्पसंख्यकों में और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है।

योजना का शीर्षकः 'अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना'

योजना का उद्देश्यः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से संबंधित ऐसी मेधावी छात्राओं की पहचान करना, बढ़ावा एवं सहायता देना जो वित्तीय सहयोग के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती हैं।

छात्रवृत्ति का प्रयोजनः यह छात्रवृत्ति स्कूल/कालेज की फीस पाठ्यक्रम की पुस्तकों, पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित लेखन सामग्री/उपकरणों की खरीद तथा आवास एवं भोजन प्रभारों के भुगतान पर होने वाले व्यय के लिए देय होगी।

महत्वपूर्ण

1. आवेदन फार्म प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फार्म की फोटोकॉपी भी उपयोग की जा सकती है। आवेदन के लिए फीस या किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

2. छात्र द्वारा आवेदन फार्म प्रतिष्ठान को सीधे डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्रतिष्ठान कार्यालय में 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में सीधे दस्ती द्वारा भेजे जा सकते हैं।

3. किसी सेवा के लिए किसी को भी कोई प्रभार/शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना होता है।

4. निर्धारित कागजात/औपचारिकताओं के पूरा होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र/चेक सफल उम्मीदवार के पते पर सीधे पंजीकृत डाक से ही भेजा जाएगा।

5. किसी भी प्रश्न/सूचना के लिए केवल सचिव, मौलाना आजाद प्रतिष्ठान को सीधे ही संपर्क किया जाना चाहिए।

पात्रता मानदंड/कौन आवेदन कर सकता है

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) से संबंधित केवल लड़कियाँ ही आवेदन कर सकती हैं।

2. किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (10वीं कक्षा) परीक्षा में 55 प्रतिशत (कुल मिलाकर) अंक से कम नहीं प्राप्त किए हुए होने चाहिए। मान्यता प्राप्त 33 बोर्डों परिषदों की सूची (संलग्क) में दी गई है। यह आवेदन करने के लिए केवल योग्यता निर्धारण है और छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोई गारंटी नहीं देता है। ये राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों में से संबंधित राज्य के लिए नियत कोटे के आधार पर उच्च श्रेणी के आवेदकों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।

3. पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों सहित कुल आय 1,00,000 रु० (केवल एक लाख रुपए) से कम होनी चाहिए।

वेतनभोगी वर्ग के मामले में छात्रा को अपने माता-पिता /अभिभावक का पदनाम, वेतनमान, मूल वेतन तथा समग्र वेतन एवं घर पर लाए जाने वाले वेतन सहित पूरा विवरण देना चाहिए। केवल 'सेवा' लिख देना स्वीकार्य नहीं होगा। छात्रा का आवेदन के साथ अपने माता-पिता/ अभिभावक के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत वेतन प्रमाण-पत्र अथवा पेंशन प्रमाण-पत्र (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में) संलग्न करना होगा।

कृषि बागवानी के मामले में छात्रा को सिंचित और असिंचित तथा उसके परिवार द्वारा अन्य भूमि संपदा के ब्यौरे एवं परिवार की कुल आय सहित कुल भूमि का उल्लेख करना होगा।

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले शपथ-पत्र (संलग्नक) के साथ-साथ राजस्व प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र में इन ब्यौरों का उल्लेख भी किया जाएगा। व्यापारी वर्ग के मामले में छात्रा को परिवार के कुल कारोबार और कुल आय सहित स्पष्ट रूप से कारोबार का नाम और प्रकार बताना होगा। इन ब्यौरों का उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र (संलग्नक) में भी उल्लेख करना होगा।

अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त हुई आय का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, विशेषकर यदि छात्रा की माता भी रोजगार में हैं।

यह नोट किया जाए कि छात्रा द्वारा आवेदन में दिए गए सभी आय प्रमाण-पत्र एवं विवरणों की मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा आगे जाँच की जा सकती है। तथ्यों में जानबूझ कर की गई गलती/तथ्यों के छुपाए जाने के मामले में यह प्रतिष्ठान, छात्रवृत्ति को रद्द/ पहले से प्रदान/ जारी की गई छात्रवृत्ति की वसूली करने के साथ-साथ कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू कर सकता है।

माता-पिता/अभिभावक की ओर से ही आय प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र (संलग्नक) दिया जाए तथा ये संबंधित गृह क्षेत्र से जारी हुए होने चाहिए। गृह क्षेत्र के अलावा जहाँ छात्रा पढ़ रही है उस स्थान से जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र अथवा शपथ पत्र स्वीकार्य नहीं होगा (फोटोकॉपी के मामले में यह राजपत्रित अधिकारी या संस्थान प्रमुख द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो)।

4. छात्रा का कक्षा में दाखिला पक्का होना चाहिए। कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी की गई दाखिला पर्ची जहाँ इस समय पढ़ रही है और निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक) में प्रधानाचार्य द्वारा की गई जाँच भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य भेजी जानी चाहिए।

5. केंद्रीय सरकार या राज्य स्तर अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दाखिला देने वाला विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

6. यह केवल एक बार मिलने वाली छात्रवृत्ति है और स्थायी लाभग्राही के रूप में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए एक बार चयन की गई छात्रा को यह छात्रवृत्ति दुबारा प्रदान नहीं की जाएगी।

7. जो छात्रा किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही है वह इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

8. यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के बाद उस वर्ष 11वीं कक्षा में दाखिला लेने पर दी जाती है। बाद के वर्षों में दाखिला लेने वाली छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

9. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, जिसका अवश्य ही पालन किया जाना चाहिए। 30 सितंबर के बाद प्राप्त हुए छात्रवृत्ति के

आवेदन को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमएईएफ इस मामले में डाक में हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10. छात्रवृत्ति की कुल राशि 12,000/- रु० (बारह हजार रुपए केवल) होगी जिसे 6,000/ रु० (छह हजार रुपए केवल) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त का चेक छात्रवृत्ति की स्वीकृति के बाद दिया जाएगा तथा दूसरी किस्त कक्षा ग्याहरवीं पास करने और बारहवीं कक्षा में प्रवेश पाने के प्रमाण को प्रतिष्ठान के कार्यालय में जमा कराने के बाद दी जाएगी।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पर www.maef.nic.in से डाउनलोड करें।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान

इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक ढाँचा तथा सुविधाएँ प्रदान और विकसित करना है, जहाँ प्रारंभिक माध्यमिक स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल/जूनियर कॉलेज/व्यावसायिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

पात्र संगठन

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पिछले तीन वर्षों से सोसायटी/ ट्रस्ट पंजीकृत हो।

(ख) सोसायटी /ट्रस्ट को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए अथवा किसी व्यक्ति या एक परिवार द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समूह/ परिवार के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

(ग) सोसायटी /ट्रस्ट को किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ाने के लिए कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए।

(घ) संस्थान जिसके विस्तार/ मजबूतीकरण के लिए सहायता माँगी गई है, में लाभ प्राप्त कर रहे अधिकांश छात्र (50 प्रतिशत से अधिक) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक/लक्षित समूह में होने चाहिए।

प्रयोजन जिसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः एमएईएफ द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान दिया जाता हैः

(क) स्कूलों के निर्माण /विस्तार के लिए।

(ख) विज्ञान/कंप्यूटर लैब प्रयोगशाला उपकरणों/फर्नीचर की खरीद के लिए।

(ग) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/ आईटीआई/पॉलिटेक्निक के निर्माण/विस्तार के लिए।

(घ) होस्टल भवनों के निर्माण के लिए।

(ङ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित डी०एड०/बी०एड०कॉलेज के निर्माण/विस्तार के लिए।

पात्रता, वित्तीय सहायता सीमा और आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए गैर-सरकारी संगठन एमएईएफ

की वेबसाइट अर्थात् www.maef.nic.in पर जा सकते हैं। आगे सचिव (एमएईएफ) से भी दूरभाष संख्या 011-2353788/23583789 पर संपर्क किया जा सकता है।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लिए दिशा-निर्देश/आवेदन पत्र

परिचय

इस प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर की गई थी। उनका जीवन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा हुआ था। वे भारतीय राजनीतिक दृश्य पर एक स्तंभ व्यक्तित्व थे तथा उर्दू साहित्य में एक उच्चकोटि के विद्वान माने जाते थे। इसके साथ उन्होंने एक पत्रकार के रूप में ट्रेंड स्थापित करके इसमें और अधिक योगदान दिया। वह एक महान प्रसिद्धि का महानतम अंश उनका विश्व दृष्टि के साथ चिंतन तथा मानवीय दृष्टिकोण था। लेकिन वह स्वतंत्रता सेनानी एवं धर्म निरपेक्ष के साथ-साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों को धारण करने वाले व्यक्ति थे। भारतीय आधुनिक पीढ़ी को फिर से मौलाना आजाद से परिचित कराने की आवश्यकता है।

यह प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, अराजनीतिक, लाभ न कमाने वाला सामाजिक सेवा संगठन है। इसकी स्थापना समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 6 जुलाई 1989 को किया गया था। प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और निर्धारित आवेदन प्रपत्रों का विवरण निम्नलिखित पृष्ठों में दिया गया है:

योजना का उद्देश्य

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक ढाँचा तथा सुविधाएँ प्रदान करना जहाँ प्रारंभिक माध्यमिक स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल/जूनियर कॉलेज/व्यावसायिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

उद्देश्य जिसके लिए सहायता अनुदान दिया जाता है–

(क) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित स्कूलों के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थाओं के लिए विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला उपकरणों/ फर्नीचर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थाओं में होस्टल भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(ङ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित डी०एड०/बी०एड०कॉलेज के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

सहायता अनुदान के लिए पात्रता मानदंड

सोसायटी/ट्रस्ट पिछले तीन वर्षों से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

सोसायटी/ट्रस्ट के पास तुलन पत्र के साथ उचित लेखा परीक्षित रिपोर्टें, प्राप्ति भुगतान तथा आय-व्यय का विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों के किए गए शैक्षिक कार्यकलापों को दर्शाया गया हो, होना चाहिए, सोसायटी/ट्रस्ट को स्वैच्छिक आधार पर उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जानकार व्यक्तियों की भागीदारी प्राप्त करने की स्थिति में होना चाहिए। सोसायटी/ट्रस्ट को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए अथवा किसी व्यक्ति या एक परिवार द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समूह/परिवार के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। उन संस्थानों, जिनके निर्माण/विस्तार के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे अस्तित्व में तथा संबंधित राज्य/केंद्रीय बोर्ड/परिषद/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध होना चाहिए। सोसायटी/ ट्रस्ट को किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ाने के लिए कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। सोसायटी/ट्रस्ट को किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक सद्भाव को खराब करने हेतु उकसाना नहीं चाहिए। संस्थान जिसके विस्तार/मजबूतीकरण के लिए सहायता माँगी गई है, में लाभ प्राप्त कर रहे अधिकांश छात्र (50 प्रतिशत से अधिक) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक/ लक्षित समूह से होने चाहिए।

छात्रावास भवन के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थान जिसके लिए छात्रावास की जरूरत है, वह कम-से-कम 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त होना चाहिए

सोसायटी/ट्रस्ट के पास प्रस्तावित परियोजना के लिए कम-से-कम 1000 वर्ग गज भूमि (शहरी क्षेत्रों में) या कम-से-कम एक एकड़ भूमि (ग्रामीण क्षेत्रों में) अपने नाम में अथवा कम-से-कम 30 वर्षों के लिए लीज़ पर होना चाहिए।

सोसायटी/ट्रस्ट को परियोजना पर गैर-सरकारी संगठन के हिस्से के रूप में कुल परियोजना लागत का कम-से-कम 10 प्रतिशत निवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए।

सोसायटी/ट्रस्ट, भूमि पर अथवा प्रतिष्ठान की सहायता से बनाए गए भवन पर कोई ऋण नहीं लेगा, जिस पर प्रतिष्ठान की सहायता से भवन का निर्माण किया गया है, फिर भी अगर यह जरूरी होता है तो उसके लिए प्रतिष्ठान की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले सोसायटी/ट्रस्ट, इस प्रयोज़न के लिए दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे, पिछड़े क्षेत्र, विशेषकर जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उन पर उचित ध्यान/प्राथमिकता

दी जाएगी, परियोजना के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। सहायता प्राप्त करने वाले को समग्र लाभ प्राप्तकर्ता संस्थान या इसके एक भाग को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर करने का वचन देना होगा, जब कभी जरूरी होगा इस योजना को संशोधित किया जा सकता है और किसी भी संगठन/संस्थान को एक स्थायी लाभाग्राही के रूप में विचार करने का कोई दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्रों को प्रतिवर्ष 1 मई से 30 सितंबर तक प्रतिष्ठान के कार्यालय में डाक द्वारा या कभी कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अधूरे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसमें कमी दर्शाते हुए उसे वापस कर दिया जाएगा। पुनः प्रस्तुत किए गए एवं संशोधित आवेदन पत्रों को नया आवेदन माना जाएगा, उपलब्ध जाँच सूची को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए और प्रत्येक दस्तावेज की पृष्ठ संख्या का उचित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। एक समय में केवल एक प्रस्ताव (एक प्रयोजन हेतु) स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ लगाए गए दस्तावेज/अनुलग्नक, प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित /साक्ष्यांकित किए हुए होने चाहिए। सोसायटी/ट्रस्ट के अधिकारियों के द्वारा किए गए साक्ष्याकंन स्वीकार नहीं होंगे, छात्राओं/छात्रों के लिए छात्रावास भवन हेतु आवेदन के मामले में, उस संस्थान में छात्रावास भवन की जरूरत के औचित्य पर एक नोट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी छात्रावास भवनों के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार करते समय उन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से ही छात्रावास चला रहे हैं।

योजना के तहत वित्तीय सहायता मंजूर करने की प्रक्रिया

प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसकी प्रतिष्ठान कार्यालय में जाँच की जाएगी और इसमें पाई गई कमियों के बारे में संगठन/संस्थान को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।

पूरे प्रस्तावों को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिसे राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिष्ठान के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिसे यह प्रतिष्ठान यह कार्य सौंपेंगा , के माध्यम से किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्टों को विचारार्थ और निर्णय के लिए प्रतिष्ठान की उप समिति/शासी निकाय के सामने रखा जाएगा और उनका निर्णय संगठन/संस्थान को सूचित किया जाएगा। किसी एक इकाई को दी जाने वाली सहायता 30.00 लाख रु० से अधिक नहीं होगी और एक समय में एक ही यदि स्कूल 5वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है और उसे 8वीं तक अपग्रेड किया जाना है।

'नई रोशनी'

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

1. पृष्ठभूमि

1.1 देश में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की स्थिति, ठीक नहीं है। बालिका को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता जैसे पारिवारिक संसाधनों के आवंटन में अपने जन्म से पूर्व में और बाद में भेद-भाव का सामना करना पड़ता है और कभी–कभी कौमार्यावस्था में ही शीघ्र विवाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलायें खाना पकाने, जल लेकर आने, बच्चों को स्कूल भेजने, खेतों में काम करने, पशुओं को चारा देने तथा गायों का दूध दोहने जैसे अल्प–परिमाप्य कार्यों के दोहरे भार से दबी हुई हैं जबकि पुरुष घर में उत्पादित दूध और अनाज बेचने जैसे परिभाषित कार्य करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी कार्य के भार से बुरी तरह दबे रहना पड़ता है। वे केवल अल्पसंख्यक नहीं हैं अपितु 'दरकिनार की हुई बहुसंख्यक' हैं तथा परिवार में निर्णय लेने के क्रम में अलग–थलग पड़ी हुई हैं और समुदाय कार्यों तथा सामाजिक संस्थानों से मिले लाभों के समान हिस्से की पूर्णतः भागीदार नहीं हैं।

1.2 महिलाओं को परस्पर सशक्त बनाना न केवल समानता के लिए आवश्यक है, अपितु यह निर्धनता में कमी लाने, आर्थिक विकास और नागरिक समाज को सुदृढ़ करने की हमारी लड़ाई में भी एक आवश्यक घटक है। गरीबी से बेहाल परिवारों में महिलाओं और बच्चों को सदैव ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सहायता की जरूरत होती है। महिलाओं, विशेषकर माताओं को सशक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर ही वह स्थान है जहां वे अपने बच्चों का पालन–पोषण करती हैं और उनका चरित्र–निर्माण करती हैं।

1.3 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (जिसे सच्चर समिति रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है) में इस तथ्य को उजागर किया गया था कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह–मुस्लिम, जिनकी संख्या 13.83 करोड़ है, को विकास–पथ से अलग रखा गया है और इस समूह में मुस्लिम औरतें दोहरी वंचना की शिकार हैं।

1.4 इसी के मद्देनजर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 में योजना को पुनः तैयार किया गया है और इसे **'नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना'** का नया नाम दिया गया। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2012–13 में शुरू किया गया।

1.5 कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर, योजना में विशिष्ट संशोधन लाने की ज़रूरत महसूस की गई ताकि लक्षित समूहों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके तथा आधारिक स्तर कार्यान्वयन हो सके और इसीलिए 6 मार्च, 2013 को स्थायी वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना कार्यान्वित की गई थी। अब यह योजना 14वीं वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 तक के दौरान कार्यान्वित की जानी है। योजना की आगे की पैरा में बताए गए अनुसार कार्यान्वित किया जाना है।

2. उद्देश्य

2.1 इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया कराकर उसी गांव/मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदाय की उनकी पड़ोसियों सहित अल्पसंख्यक को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है।

2.2 अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमाओं से बाहर निकलने तथा अपने जीवन और रहन–सहन दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास लाभों के अपने समुचित हिस्से का दावा करने सहित सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों तक पहुँच बनाने में सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में नेतृत्व भूमिकाओं का उत्तरदायित्व लेने के लिए सशक्त तथा साहसी बनाना। इसमें प्रशिक्षित महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है ताकि वे अंततः समाज के स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी सदस्य बने।

3. लक्षित समूह तथा संवितरण

3.1 लक्षित समूहों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, सिक्खों, बौद्धों, ईसाईयों, पारसियों और जैनों से संबंधित महिलाएं शामिल हैं। तथापि, समाज के बहुलता के स्वरूप को और सुदृढ़ता प्रदान करने तथा अपने भाग्य को संवारने के उनके स्वयं के प्रयासों में समैक्य और एकता लाने की दृष्टि से, योजना में परियोजना प्रस्ताव के अधिकतम 25 %. तक मिश्रित रूप से गैर–अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को भी शामिल किये जाने की अनुमति है। संगठन द्वारा यह प्रयास किए जाने चाहिए कि इस 25% के समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं, विकलांग महिलाओं और अन्य समुदाय की महिलाओं का मिश्रित प्रतिनिधित्व हो।

3.2 पंचायती राज्य संस्थाओं के अंतर्गत किसी भी समुदाय की चुनी गई महिला प्रतिनिधियों (ईडब्लयूआर) को प्रशिक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए राजी करने के प्रयास किए जाएंगे।

4. पात्र संगठन

4.1 इस योजना के तहत परिकल्पित पोषक/हैंडहोल्डिंग सेवाएं, जो हिमायत से भी जुड़ी हैं, एक क्षेत्र विशिष्ट कार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि सुविधा प्रदाता लक्षित समूह के आस-पास सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य में निरंतर लगे रहे। योजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन के कार्मिकों को समय-समय पर गांवों/क्षेत्रों का दौरा करना आवश्यक होगा ताकि नेतृत्व से जुड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला वर्ग का पोषक/हैंडहोल्डिग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और इस प्रकार उन महिलाओं को सिखाई गई तकनीकी और यंत्रों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा सके और वे अपने प्रयासों से लाभ प्राप्त कर सकें। इस तरह के क्षेत्र विशिष्ट कार्यकलाप अत्यधिक प्रेरित और समर्पित समुदाय आधारित संगठनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। महिलाओं की कार्य प्रकृति घर के निकट रहने की होने के कारण यह महत्वपूर्ण है कि योजना को कार्यान्वित कर रहे संगठनों के पास गांवों/मुहल्लों जहां महिलाएं रहती हैं, में जाकर प्रशिक्षण संचालित करने के लिए अनुभव, कार्मिक और संसाधन हों।

4.2 संगठन के पास मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में अथवा अपने स्वयं के सुविधा केंद्रों में आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसाधन और पूर्व अनुभव होना चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि जिन संगठनों की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक हो तथा प्रेरणा और समर्पण भाव से युक्त हों और गांवों/क्षेत्रों में ऐसा प्रशिक्षण संचालित करने के लिए जनशक्ति और संसाधन हों तथा जो मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी कर सकते हों, वे इस योजना के कार्यान्वयन में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। इसका आशय यह नहीं है कि इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को भाग न लेने दिया जाए।

4.3 इस योजना के अंतर्गत जो संगठन वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं, वे इस प्रकार हैं-

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी।

(ii) विद्यमान किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास।

(iii) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के तहत पंजीकृत गैर-लाभ वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान।

(v) केन्द्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।

(vi) महिला/स्व-सहायता समूहों की विधिवत पंजीकृत सहकारी सोसाइटियाँ।

(vii) राज्य सरकार की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ।

4.4 इसमें इसके बाद प्रयुक्त होन वाले "संगठनों" शब्द का आशय ऊपर उल्लिखित संगठन तथा उक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) होंगे।

5. परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चुनिंदा संगठनों के माध्यम से नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

5.2 चुनिन्दा संगठन परियोजना को अपने सांगठनिक ढांचे के माध्यम से इलाके/ग्राम/क्षेत्र में सीधे कार्यान्वित कर सकते हैं।

5.3 परियोजना को समुचित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उस संगठन की होगी जिसे मंत्रालय द्वारा कार्य सौंपा गया है।

6. नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल

6.1 नेतृत्व-क्षमता प्रशिक्षण मॉड्यूलों में संबंधित मुद्दों को कवर किया जाएगाः

1. महिलाओं की नेतृत्व-क्षमता
2. सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन की हिमायत
3. स्वच्छ भारत
4. महिलाओं के कानूनी अधिकार
5. जीवन कौशल
6. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
7. शैक्षिक सशक्तिकरण
8. पोषक एवं खाद्य सुरक्षा
9. सूचना का अधिकार
10. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
11. डिजिटल भारत
12. जेंडर एवं महिलाएँ
13. महिलाएँ एवं कड़ी मजदूरी

14. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा।

15. सरकारी तंत्रों का परिचय।

प्रशिक्षण मॉडयूल मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

6.2 ये मॉड्यूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। तथापि, क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसी द्वारा स्थानीय मुद्दों/जरूरतों पर आधारित विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल दी गई अवसरंचना के भीतर स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएंगे।

6.3 प्रशिक्षण मॉड्यूल इस तरह से तैयार किए जाएंगे जिससे कि प्रशिक्षण संबंधी इनपुट्स संक्षिप्त चरणों में दिए जा सकें।

6.4 प्रशिक्षण मॉड्यूल को और अधिक रूचिकर तथा बोधागम्य बनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण सामग्री में श्रव्य-दृश्य सामग्री और विषय से जुड़े अध्ययन शामिल किए जाएंगे। संगठनात्मक क्षमता, संवाद कौशल, स्व-विकास और सुस्पष्टता, संभाषण और सार्वजनिक रूप में भाषण, क्षमता निर्माण, वार्ता और विवाद समाधान आदि सरीखे नेतृत्व गुण प्रशिक्षण के अभिन्न अंग होंगे। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और योजना को और जीवंत एवं सहक्रियात्मक बनाने हेतु समूह अभ्यास और वाद-विवाद को प्रशिक्षण मॉड्यूलों में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार संगत मुद्दों पर बोलने के लिए विशेषज्ञों को आंमत्रित किया जाना चाहिए।

6.5 आवश्यक होने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास से जुड़ी उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री को तैयार करने के लिए बाहर से विशेषज्ञ/परामर्शक/एजेंसी को नियोजित किया जा सकता है।

6.6 स्वीकृति प्रदाता बाहरी विशेषज्ञ/परामर्शक/एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूलों को अनुमोदित करने/ उनकी अनुशंसा संबंधी का कार्य भी करेगी।

7. संगठनों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप

7.1 **गांवों/शहरी इलाकों का चयन :** संगठन द्वारा अल्पसंख्यक आबादी की पर्याप्त प्रतिशतता वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण/शहरी इलाकों का नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए चयन किया जाएगा। उन गाँवों की सूची, जहाँ ग्रामीण/शहरी इलाकों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं, अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता की सूचना के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

7.2 **प्रशिक्षण हेतु महिलाओं की पहचान और चयन मानदंड :** अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण संचालन हेतु चयनित संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले गांवों/इलाकों से योजना के मानदंडोंके अनुसार प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चयन, पहचान और प्रेरित करें। महिला प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन हेतु संगठनों में ग्राम पंचायत/नगर निकाय/ स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख शामिल होंगे। परियोजना के अनुमोदन होने पर संगठन द्वारा प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले प्रशिक्षणार्थियों की सूची नई रोशनीहेतु ऑनलाइन आवेदन प्रबंध प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

7.3 **पात्र महिला प्रशिक्षणार्थीः** यद्यपि वार्षिक आय की काई सीमा नहीं होगी, फिर भी उन महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु चयन में वरीयता दी जाएगी जिन महिलाओं/माता–पिता अथवा संरक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। उनकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष आयु–वर्ग के बीच की होनी चाहिए।

7.4 **आधार/यू.आई.डी.नम्बरः** देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे आधार नाम दिया गया है, दी जा रही है। आधार नम्बर उस संगठन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए, जहां से यह जारी किया गया है तथा प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला के नाम के सामने इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। संगठन, जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय अथवा क्रेंद सरकार/ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यू.आई.डी.ए.आई.) इत्यादि द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य किसी संस्थान, संगठन से अपना आधार नंबर प्राप्त करने में महिला प्रशिक्षणार्थियों की सहायता भी करेंगे।

7.5 संगठन को प्राधिकरण प्रपत्र के अनुसार प्रशिक्षण के लिए चयनित की गई महिलाओं के बैंक ब्यौरे अर्थात् खाता सं., आईएफएसीसी कोड के साथ संपर्क सूत्र/मोबाइल नं. प्राप्त करना है।

7.6 **प्रशिक्षण के प्रकार :** ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दो तरह के होंगे अर्थात् गैर–आवासीय एवं आवासीय तथा प्रशिक्षण के लिए महिलाओं के चयन के मानदंड निम्न प्रकार होंगेः–

(क) गैर–आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण : विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण और बेहतरी तथा सामान्यतः समाज के कल्याण के लिए समर्पित, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित 25 ग्रामीण महिलाओं को एक बैच में नेतृत्व प्रशिक्षिण प्रदान किया जाएगा। इन 25 महिलाओं के समूह में कम–से–कम 10 % महिलाओं ने 10 वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य

कक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण महिलाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो इसकी छूट प्रदान करते हुए इसे 5वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य कक्षा तक किया जा सकता है। संगठनों से यह अपेक्षित होगा कि वे इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों के पांच बैंचों के सेटों हेतु प्रस्ताव करें। गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा हाने के पश्चात् संगठन इन प्रशिक्षित महिलाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें तथा उन्हें उचित वेतन मजदूरी अथवा स्व-रोजगार/लघु उद्यम के माध्यम से स्थायी आर्थिक आजीविका अवसरों को प्राप्त करने में सहायता करें ताकि वे हैंडहोल्डिंग (वैकल्पिक) के अंत में आर्थिक रूप से सशक्त हों।

(ख) **आवासीय नेतृत्व-क्षमता प्रशिक्षणः** एक गांव/शहरी क्षेत्र की अधिकतम 5 महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण के लिए 25 महिलाओं के समूह में (एक बैच) आवासीय नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण के लिए चयन किया जा सकता हैं। उन्हें कम-से-कम बारहवीं अथवा उसके समतुल्य कक्षा का प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए। ऐसी महिलाओं के आसानी से उपलब्ध न होने पर 10 वीं कक्षा की प्रमाण-पत्र धारक ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्णतः ठीक हों तथा विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण और बेहतरी तथा सामान्यतः समाज के कल्याण के कार्य के लिए समर्पित, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित हों। उन्नत प्रशिक्षण के बाद उनसे आशा की जाएगी कि वे गांवों में योजना के तहत यथा परिकल्पित समुदाय आधारित नेता/प्रशिक्षकों की भूमिका निभाएं। योजना के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये महिलाएं सरकारी एजेंसियों और संगठनों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी।

7.7 **प्रशिक्षण संचालन :**

1. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाओं को अपने घरों में रहना हेाता है तथा वे घर से अधिक दूर नहीं आ सकती हैं और इस तथ्य के मद्देनजर भी कि विशेषतः ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए और सामान्यतः समुदाय के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाली युवा एवं शिक्षित महिलाएं हो सकती हैं, योजना के तहत दो तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. यह परिकल्पना है कि नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करेंगी। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में सक्षम बनाएगा।
3. संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के लिए देखरेख और सहायता करेंगे कि सशक्त ग्रामीण महिलाएं आधारभूत अवसरंचना तथा सेवाओं की उपलब्धता/अनुलपब्धता

से जुड़ी, परियोजना की तैयारी के दौरान अभिनिर्धारित गांवों/क्षेत्रों/की जरूरत और तैयारी के समान, अपनी शिकायतों/समस्याओं को ग्राम/ब्लॉक/जिला/राज्य प्राधिकरणों तक ले जाने में दबाव समूह का कार्य करने में सक्षम हो।

4. संगठन को यह सुनिश्चित करना आवयश्यक होगा कि देख–रेख/ हैंड होल्डिग के लिए लगाई गए सेवा प्रदाता यथा निर्धारित गांवों/शहरी क्षेत्रों का दौरा करे, तत्परता से अपने कार्यों को अंजाम दे तथा प्रगति की सूचना दें तथा उसे जरूरत पड़ने पर संगठन की सहायता प्राप्त हो।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन निम्नलिखित ढंग से प्राप्त किया जाएगाः–

(क) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गैर–आवासीय प्रशिक्षणः–

(i) गांव/इलाकों में प्रशिक्षण का संचालन विद्यमान सुविधाओं का इस्तेमाल करके अथवा किराए पर स्थायी इमारत को लेकर किया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षण की अवधि 6 दिनों की होगी और प्रत्येक दिवस छह घंटों के लिए होगा।

(iii) 25 प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच को अलग प्रशिक्षित किया जाएगा।

(iv) यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि मौसमों की मांग और धार्मिक अवसरों/त्यौहारों की तिथियाँ मेल न खाएँ।

(v) संगठन द्वारा प्रशिक्षिण मॉड्यूलों के आधार पर क्षेत्र की स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(vi) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आय/मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रशिक्षण हेतु चयनित महिलाओं को भत्ता/वृत्तिका के साथ–साथ आहार और दिन में प्रशिक्षण के दौरान उनके बच्चों के लिए शिशुसदन की व्यवस्था की जाएगी।

(vii) चयनित पात्र महिलाओं को गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (वैकल्पिक) में नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा।

(viii) कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी उन महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए बैंकों में खाते खोलेगी जिनके अपने स्वयं के खाते नहीं है और वजीफा राशि इलैक्ट्रिक रूप से उनके खातों में तथा संसाधन व्यक्तियों का मानदेय पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) /डीबीटी क माध्यम से अंतरित किया जाएगा।

(ix) संगठनों द्वारा प्रशिक्षण देने के कार्य में लगाए गए प्रशिक्षकों में कम-से-कम दो–तिहाई प्रशिक्षक महिलाएँ होंगी जिन्हें मॉड्यूल में दिए गए विषयों पर अपना व्याख्यान उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में देने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण :

(क) चयनित पात्र महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों में नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) संगठनों के प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षणें को अनुमोदित करने के लिए, संबंधित संस्थान के पास किसी सुरक्षित स्थान पर कम-से-कम 25 महिलाओं के लिए आवास/भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) प्रशिक्षण की अवधि पांच दिन की होगी और प्रत्येक दिन मे सात घंटे की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(घ) 25 प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच को अलग प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ङ) प्रशिक्षण मॉड्यूलों के आधार पर संगठन द्वारा क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि मौसम की मांग और धार्मिक अवसरों/त्यौहारों की तिथियों मेल न खाएँ।

(छ) योजना में पूरा प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण सामग्री, आवास, भोजन, जलपान तथा यात्रा-व्यय शामिल होगा।

(ज) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के लिए भत्ता/वजीफा प्रदान किया जाएगा।

(झ) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी उन महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए बैंकों में खाते खोलेगी जिनके अपने स्वयं के खाते नहीं हैं और वजीफा राशि इलैक्ट्रिक आर्थिक सशक्तिकरण रूप से उनके खातों में अंतरित करेगी।

6. अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण का संचालन कर रहे संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु ऐसी महिलाओं का चयन करे, जो प्रशिक्षु बनने की क्षमता रखती हों और नेतृत्व भूमिका ग्रहण करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमता रखती हों।

7.7 कार्यशाला :

(क) प्रशिक्षण संगठन, जिला कलेक्टर/उपायुक्त/उप–संभागीय अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के साथ मिलकर जिला/उप–संभाग/ब्लॉक आदि स्तर पर सरकारी संस्थानों, बैंकरों और पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि को इस योजना के तहत चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी के लिए कम–से–कम आधे दिन की कार्यशाला आयोजित करेंगे। सरकारी पदाधिकारियों को उन सुधारात्मक कार्यवाहियों से अवगत

कराया जाएगा, जिनकी मांग महिला समूहों द्वारा हो सकती है तथा उनकी समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए वे कैसे अनुक्रियाशाली हो सकते हैं। यदि संबंधित जिला/उप–संभाग/ब्लॉक में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक से अधिक संगठन स्वीकृत हैं तो जिला प्रशासन इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेदारी चुने हुए किसी एक संगठन को सौंप सकता है। चयनित संगठन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुने हुए किसी एक संगठन को सौंप सकती है। चयनित संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना के तहत अन्य संगठनों की जिले/उप–संभाग/ब्लॉक में स्वीकृति प्रशिक्षण परियोजनाएं कार्यशाला में शामिल हों। यह कार्यशाला आयोजित करने के लिए, संबंधित संगठन को केवल 15,000/- रु. की राशि स्वीकार्य होगी।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पीआईए एवं लाभार्थियों का सुग्राहीकरण करने के लिए तथा योजना तथा स्व–रोजगार तथा अपेक्षित अनुभव/कौशल आदि के अवसरों के संबंध मं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए अधिकतम केवल 1,25,000/- रु. की राशि अनुमत्य होगी।

7.8 गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत देख–रेख एवं हैंड होल्डिंगः

(क) देख-रेख एवं सहायता, संगठन द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आंरभ होने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक सेवा स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिन्होंने नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण लिया हो। संगठन के सुविधा–प्रदाता परियोजना अवधि के दौरान एक माह में कम–से–कम एक बार शक्तिप्रदत्त महिलाओं की सहायता के लिए गांव/इलाकों का दौरा करेंगे और उनके साथ बैठकें करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों में से महिला मंडलों/महिला सभाओं/स्वयं–सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। इन महिला मंडलों/महिला सभाओं/स्वयं–सहायता समूहों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी हैंडहोल्डिंग के लिए विशेषज्ञों को लगाएगी। वे बैठकों, उपस्थिति, फोटोग्राफ्स और इन बैठकों के दौरान विचार–विमर्श किए गए, समाधान किए गए मुद्दों का रिकॉर्ड रखेंगे। यह योजना की सफलता के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी समस्याओं और शिकायतों को इस योजना में यथा परिकल्पित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता मिल रही है।

(ख) गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (वैकल्पिक) हेतुः

(i) उपर्युक्त के अलावा, महिलाओं ('नई रोशनी' के अंतर्गत प्रशिक्षित) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से, संगठन (प्रशिक्षण के पूरा होने के उपरांत) को उन महिलाओं

का पता लगाना चाहिए जो प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हैं और जिन्हें किसी अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत और प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि उन्हें समुचित वैतनिक रोजगार अथवा स्व–रोजगार/सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्थाई आर्थिक आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकें।

(ii) इन इच्छुक महिलाओं की पहचान करने के पश्चात् , संगठन उनके द्वारा चुने गए कौशल से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा और प्रशिक्षणोपरांत महिलाओं को किसी समुचित वैतनिक रोजगार प्राप्त करने अथवा एकल स्वामित्व के रूप में स्व–रोजगार करने में उनकी मदद करेगा।

(iii) महिला उद्यमियों/एसएचजी को उनके उत्पाद के विपणन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहायता करने के उद्देश्य से संगठन को उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को प्रत्यक्ष ऑनलाइन विपणन मंच उदाहरणार्थ shopclues.com, महिला ई–हार्ट तथा और भी कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने में उनकी मदद करनी चाहिए। इससे महिला उद्यमी तथा खरीददार के बीच उनके उत्पादों, संपर्क–सूत्र, पता एवं साथ ही उत्पाद की मूल लागत का प्रदर्शन करने हुए उनके बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा। संगठन को महिलाओं को इस बात का भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे ऑर्डर को कैसे देखें तथा सरल ऑनलाइन आवेदनों का उपयोग करते हुए उन्हें कैसे भिजवाएँ।

(iv) वह संगठन जो महिलाओं के इस आर्थिक संशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन करते हों, परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए दी गई सेवा की लागत के रूप में 1500/-रु. प्रति व्यक्ति केवल, की राशि के हकदार होंगे।

(v) वे संगठन, जिन्होंने 'नई रोशनी' योजना के अंतर्गत नेतृत्व विकास परियोजना का विकल्प नहीं लिया है, भी योजना के महिलाओं के इस आर्थिक सशक्तिकरण के भाग के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं, यदि उनके पास इस प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण का संचालन करने तथा आर्थिक विकास एवं आजीविका के लिए महिलाओं का नेतृत्व करने की क्षमता तथा संसाधन हो। तथापि, लाभार्थियों का चयन केवल 'नई रोशनी' परियोजना से किया जाएगा।

(vi) वह संगठन जिसे योजना के अंतर्गत नेतृत्व प्रशिक्षण का निष्पादन करने के लिए चुना गया है, केवल नेतृत्व विकास कार्यक्रम की हैंडहोल्डिंग अवधि के दौरान इस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएँ।

(vii) पात्रता मापदंड 'नई रोशनी' योजना के अंतर्गत नेतृत्व विकास परियोजना की तरह ही होगा।

कराया जाएगा, जिनकी मांग महिला समूहों द्वारा हो सकती है तथा उनकी समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए वे कैसे अनुक्रियाशाली हो सकते हैं। यदि संबंधित जिला/उप–संभाग/ब्लॉक में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक से अधिक संगठन स्वीकृत हैं तो जिला प्रशासन इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेदारी चुने हुए किसी एक संगठन को सौंप सकता है। चयनित संगठन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुने हुए किसी एक संगठन को सौंप सकती है। चयनित संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना के तहत अन्य संगठनों की जिले/उप–संभाग/ब्लॉक में स्वीकृति प्रशिक्षण परियोजनाएं कार्यशाला में शामिल हों। यह कार्यशाला आयोजित करने के लिए, संबंधित संगठन को केवल 15,000/- रु. की राशि स्वीकार्य होगी।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पीआईए एवं लाभार्थियों का सुग्राहीकरण करने के लिए तथा योजना तथा स्व–रोजगार तथा अपेक्षित अनुभव/कौशल आदि के अवसरों के संबंध मं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए अधिकतम केवल 1,25,000/- रु. की राशि अनुमत्य होगी।

7.8 गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत देख–रेख एवं हैंड होल्डिंगः

(क) देख-रेख एवं सहायता, संगठन द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आंरभ होने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक सेवा स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिन्होंने नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण लिया हो। संगठन के सुविधा–प्रदाता परियोजना अवधि के दौरान एक माह में कम–से–कम एक बार शक्तिप्रदत्त महिलाओं की सहायता के लिए गांव/इलाकों का दौरा करेंगे और उनके साथ बैठकें करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों में से महिला मंडलों/महिला सभाओं/स्वयं–सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। इन महिला मंडलों/महिला सभाओं/स्वयं–सहायता समूहों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी हैंडहोल्डिंग के लिए विशेषज्ञों को लगाएगी। वे बैठकों, उपस्थिति, फोटोग्राफ्स और इन बैठकों के दौरान विचार–विमर्श किए गए, समाधान किए गए मुद्दों का रिकॉर्ड रखेंगे। यह योजना की सफलता के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी समस्याओं और शिकायतों को इस योजना में यथा परिकल्पित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता मिल रही है।

(ख) गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (वैकल्पिक) हेतुः

(i) उपर्युक्त के अलावा, महिलाओं ('नई रोशनी' के अंतर्गत प्रशिक्षित) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से, संगठन (प्रशिक्षण के पूरा होने के उपरांत) को उन महिलाओं

(viii) भुगतान का तरीका–

(क) 50 % भुगतान नियुक्ति पत्र/स्व-रोजगार के दस्तावेजी साक्ष्य की प्राप्ति पर किया जाएगा।

(ख) 50 % वैतनिक रोजगार के मामले में लाभान्वित महिला की तीन नियमित वेतन पर्चियां तथा स्व-रोजगार की स्थिति में 3 महीने के आय की रसीद के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। साथ में सफलता की कहानी भी संलग्न की जाए।

(ग) दिव्यांग अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु आर्थिक सशक्तिकरण (वैकल्पिक)

- इसके अलावा, 'नई रोशनी' योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व–क्षमता विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शारीरिक रूप से विकलांग अल्पसंख्यक महिलाओं का पता लगाने और उन्हें कोई रोजगार/कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जिससे कि उनकी घेरलू आय में वृद्धि हो सके। उन्हें भौगोलिक स्थिति एवं कच्चे माल अथवा तैयार उत्पाद की मांग/पूर्ति के आधार पर वित्तीय रूप से उपयोगी ट्रेडों जैसे कि झाड़ू बनाना, टेलरिंग/कढ़ाई, सैनेटिरी नैपकिन बनाना, मशरूम की खेती, अचार/पापड़ बनाना, दोना–पत्तल बनाना, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, किताबों की जिल्दसाज़ी आदि में नियोजित किया जा सकता है। महिलाओं को उन स्थानीय बाजारों से जोड़ा जाना चाहिए जहां वे लाभ पर अपने उत्पाद बेचकर पैसा कमा सकें।
- बैंक के लेन–देनों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बचत की आदतों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- संगठन को महिलाओं को कुशल बनाने के लिए अज्ञात दिव्यांग महिलाओं की सूची जिसके साथ उनके प्रमाण–पत्र तथा उनके द्वारा चुने गए ट्रेड की प्रति सहित दस्तावेज भेजने चाहिए।
- इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 1 से 3 महीने होगी जिसमें एक महीने का प्रशिक्षण तथा उनके उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय बाजार के साथ जोड़ना शामिल होगा।
- बजटः मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए 10000/-रु0 प्रति महिला की दर से राशि उपलब्ध कराएगा।
- किस्तेंः दो किस्तों में निधि में जारी की जाएँगी अर्थात् 50 % शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की सूची के साथ प्रमाण–पत्र एवं संगठन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने वाले ट्रेड की सूची प्रस्तुत करने पश्चात् तथा 50 % अथवा दूसरी किस्त प्रशिक्षण पूरा होने तथा महिलाओं के आर्थिक संशक्तिकरण की पुष्टि होने और सफलता की कहानियों की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जारी की जाएगी।

समवर्ती निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत करना : संगठन देख-रेख एवं सहायता सेवाएं प्रदान करते समय यथा अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही के लिए समवर्ती निगरानी करेगा। संगठन, निर्धारित किए जाने वाले प्रारूपों में परियोजना पूरी होने के आशय की रिपोर्ट तथा मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, संगठन ग्लोबल पॉजिशिनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) समर्थित मोबाइल फोन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य क्रियाकलापों यथा संकाय द्वारा किए गए संबोधन, सरकारी तंत्रों, प्रदान किए जा रहे हैं, मध्याह्न भोजन/भोजन (आवासीय), श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रयोग तथा शिकायतों के निपटान के लिए प्रस्तुत याचिकाओं/पेश आ रही समस्याओं, आयोजित की जा रही कार्यशाला आदि की फोटो भेजेंगे।

8. संगठन के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार

8.1 संगठन **ऑनलाइन आवेदन प्रबधन प्रणाली (ओएएमएस)** के माध्यम से ग्रामीण/शहरी क्षेत्र स्तर हेतु प्रशिक्षण के कम-से-कम 5 प्रस्ताव करेंगे।

8.2 संगठन एक बैच के गैर–आवासीय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षणों की प्रत्येक परियोजना के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार के रूप में 25,000/- रु केवल की राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो परियोजना के सफल कार्यान्वयन तथा समुचित एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए होंगी। ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के गैर–आवासीय प्रशिक्षण के लिए संगठन को स्वीकार्य एजेंसी शुल्क/प्रभार में संगठन से संबद्ध व्यय अर्थात् समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग, प्रशासनिक लागतें तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य सभी व्यय आदि शामिल होंगे।

8.3 आवासीय प्रशिक्षण के संदर्भ में, प्रशिक्षणार्थियों के एक बैच के लिए 15,000/- रु. केवल, की राशि एजेंसी शुल्क/प्रभार के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी।

9. निर्धारित वित्तीय मानक

9.1 संगठन को योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।नीचे सारणी में दी गई मद–वार दरों का अनुसरण किया जाएगा। प्रत्येक के प्रशिक्षण के लिए उल्लिखित कुल लागत 25 महिलाओं के बैच के लिए स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अनुमन्य लागत होगी। प्रशिक्षण, यात्रा आदि के संदर्भ में होने वाले प्रस्तावित व्यय के लिए संगठन द्वारा परियोजना प्रस्ताव में सहायक एवं दस्तावेज, यदि कोई है, उपलब्ध कराने होंगे। दरें अग्रलिखित सारणी में दी गई हैं:–

महिलाओं के लिए गांवों/मुहल्लों में गैर-आवासीय नेतृत्व-क्षमता प्रशिक्षण हेतु दरों के ब्यौरे					
क्र.सं.	नेतृत्व-क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय की मद	व्यक्तियों की संख्या	दर (रु.)	अवधि/ यूनिट	कुल लागत (रु.)
1.	(क) संकाय सदस्यों/संसाधन व्यक्ति को लगाने के लिए शुल्क/मानदेय	2	750	6 दिन	9000
2.	(ख) संकाय सदस्यों/संसाधन व्यक्ति के लिए आने-जाने का मार्ग व्यय	2	2500	3 बार	15000
3.	(ग) संकाय सदस्यों के लिए रहने की लागत	2	500	6 दिन	6000
4.	(घ) स्थल, फर्नीचर और शिशु सदन सुविधा को किराए पर लिया जाना		500	6 दिन	6000
5.	(ङ) प्रशिक्षणार्थी महिलाओं हेतु एक बार के भोजन की लागत	25	100	6 लंच	15000
6.	(च) श्रव्य-दृश्य सहायता, प्रशिक्षण किट और रिपोर्ट के लिए विभिन्न कार्यों हेतु श्रव्य-दृश्य क्लिप को इस्तेमाल करना किराए पर लिया जाना		2000	6 दिन	12000
7.	(छ) स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री और साहित्य तथा लेखन सामग्री वितरित करने का खर्च	25	400	एक बार	10000
8.	(ज) महिलाओं के लिए भत्ता/वृत्तिका (प्रशिक्षणार्थियों के खाते में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरित	25	100	6 लंच	15000
9.	(झ) पात्र महिलाओं को प्रेरित करने, उनकी पहचान और उनके चयन की लागत	25	50	एक बार	1250
10.	(ञ) समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग सहित परियोजना अवधि के लिए सुविधा प्रदाता द्वारा हैंडहोल्डिंग/पोषण लागत		800	12 महीनों के लिए प्रतिमाह एक बार	9600
11.	ग्रामीण प्रशिक्षण के एक बैच (25 महिलाओं) के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार जोड़ें		600		6600
कुल					104850

महिलाओं के लिए गांवों/इलाकों में आवासीय नेतृत्व–क्षमता प्रशिक्षण हेतु दरों के ब्यौरे					
क्र.सं.	नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय की मद	व्यक्तियों की संख्या	दर (रु.)	अवधि/ यूनिट	कुल लागत (रु.)
1.	(क) शुल्क, बोर्डिंग, आहार आदि शामिल (वास्तविक की अदायगी)	25	1200	5 दिन	150000
2.	(ख) साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, सूचना पुस्तिका, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रतियां, संगत कानून और अधिनियम, लेखन सामग्री।	25	600	एक बार	15000
3.	(ग) संकेतात्मक परिवहन व्यय (वास्तविक की अदायगी)	25	1000	एक बार आने-जाने का	25000
4.	(घ) महिलाओं के लिए भत्ता/वृत्तिका (प्रशिक्षणार्थियों के खाते में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरित)	25	150	5 दिन	18750
5.	(ङ) पात्र महिलाओं को प्रेरित करने, उनकी पहचान और उनके चयन की लागत	25	150	एक बार	1250
6.	आवासीय प्रशिक्षण के एक बैच (25 महिलाएँ) के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार जोड़ें		15000		15000
	कुल				225000

10. मंत्रालय के लिए प्रशासनिक व्यय

10.1 मंत्रालय को इस योजना के तहत वार्षिक आवंटन में से 3.0 % भाग को अपने प्रशासनिक व्यय जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रबंधक प्रणाली (ओएमएस) के प्रबंधन कम्प्यूटर और डेवलेपिंग सहायक सामग्री, जेपीएस युक्त मोबाइल फोन और सहायक सामग्री, फर्नीचर, लेखन सामग्री और सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण माड्यूलों की डीवीडी की खरीद, आँकड़ों के विश्लेषण और उनकी प्रविष्टि के लिए योग्य कार्मिकों/एजेंसियों की तैनाती, प्रस्तावों से संबंधित कार्य के निस्तारण, रिपोर्टों की निगरानी और मूल्यांकन, नोट तैयार, पॉवर प्वॉइंट प्रस्तुतीकरण और रिपोर्ट, मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचना और आँकड़े उपलब्ध कराने, कार्य दिवस में प्रश्न और उत्तर की सुविधा के लिए टेलीफोन की व्यवस्था ऐसे कार्यों

आउटसोर्स करने, विज्ञापन जारी करने, प्रशिक्षण और पाठ्य–सामग्री तैयार करने के लिए परामर्शी प्रभारों, कॉल सेंटर सुविधाओं, कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि के लिए अलग से रखने की अनुमति होगी। कार्यशालाओं और सम्मलेनों में मंत्रालय द्वारा सफल उद्यमियों / लाभार्थियों को दर्शाते हुए योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्य भी शामिल होंगे। लागत में टीए/डीए तथा विविध खर्चों सहित कार्यशाला के संचालन और आयोजन पर होने वाले सभी खर्चे शामिल होंगे।

11. वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य

11.1 इस योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों और नगरों/शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में किया जाएगा। 14वीं वित्तीय आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017-18 से 2019-20 तक के दौरान 1.5 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को कवर करने अथवा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। संपूर्ण अवधि के लिए योजना हेतु 66 करोड़ रु. की निधि की आवश्यकता होगी।

12. विज्ञापन और प्रस्तावों को प्रस्तुत करना

12.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यूआरएल पर www.nairoshni-moma.gov.in ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस) के माध्यम से संगठनों से प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। ओएमएस का लिंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संगठन ओएमएस आवेदन करेंगे। सभी दस्तावेज ओएमएस में ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। जब तक मांगा न जाए, संगठनों द्वारा मंत्रालय को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होगा।

13. संगठनों का चयन करने संबंधी मानदंड

13.1 संगठनों के चयन के लिए कठोर अपेक्षाओं को अपनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन संगठनों के पास क्षमता है वे अत्यधिक प्रेरित, समर्पित और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनके पास परियोजना को कार्यन्वित करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर कार्य संचालित करने हेतु, कार्मिक वित्तीय क्षमता और अवसंरचना होनी चाहिए। संगठन द्वारा अन्य अल्पसंख्यक अपेक्षाओं पर विचार करने से पूर्व निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं पूरी की जानी अपेक्षित होगी:

(क) संगठन को विधिवत पंजीकृत होना चाहिए और कम-से-कम तीन वर्ष के कार्य संचालन में लगा होना चाहिए।

(ख) संगठन का वित्तीय रूप में अर्थक्षम होना चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में नहीं होना चाहिए।

(ग) संगठन ने महिलाओं के उत्थान के लिए कम-से-कम एक परियोजना चलाई हुई हो और कार्यक्रम भी आयोजित किये हों जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल किये गये हों। इस आशय का साक्ष्य ओएएमएस पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(घ) स्थानीय आधारिक स्तर संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें स्थानीय प्राधिकारियों/जिला कलेक्टर/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि ऐसे संगठनों ने महिला विकास परियोजनाओं के विशेष क्षेत्र में काम किया है और अच्छे परिणाम भी दिये हैं।

(ङ) संगठन के पास कम-से-कम तीन ऐसे प्रशिक्षक कार्मिक होने चाहिए, जो कम-से-कम स्नातक/डिप्लोमाधारक हों। ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्मिकों के नामों, लिंग, शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता का क्षेत्र, अनुभव की अवधि और प्रकार, पूरा डाक पता और संपर्क नम्बर ओएएमएस पर दिया जाना चाहिए।

(च) संगठन को किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं होना चाहिए। संगठन अथवा इसके किसी भी कार्मिक को किसी आपराधिक अथवा सिविल वाद में संलिप्त होने के कारण सजा-प्राप्त नहीं होना चाहिए। नोटरी द्वारा प्रमाणित एक विधिवत् शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(छ) प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण के मामले में, संगठन के पास अपेक्षित आवासीय सुविधा और प्रशिक्षिण स्थान और शौचालय होने चाहिए, जो कम-से-कम 25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए पर्याप्त हो। प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

(ज) यदि हिमालयी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, सचिव (अ. का.) चयन मानदंड में छूट दे सकता है।

13.2 **पंजीकरण प्रक्रिया :** संगठन को 'नई रोशनी' के ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएसमएस) पर पंजीकृत होना तथा लॉगिन के लिए आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना जरूरी है। संगठनों का पंजीकरण केवल एक बार किया जाएगा। संगठनों का पंजीकरण संगठन के पंजीकृत मोबाइल नं. पर वन टाइम पासवर्ड प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) पर सूचना अपलोड करना और अपने अनुरोध पर विचार करने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निम्नलिखित दस्तावेजों को ओएएमएस में स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक हैः–

(क) संगठन के अस्तित्व में रहने के वर्षों की संख्या तथा कार्य करने की अवधि।

(ख) संगठन द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा मूल्यांकित संस्थान के कार्य निष्पादन संबंधी रिकॉर्ड।

(घ) संगठन द्वारा उस इलाके/क्षेत्र/मुहल्ले में समान सांस्कृतिक माहौल में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या जहां संगठन इस योजना के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की इच्छा रखता हो।

(ङ) संगठन के लिए कार्य कर रहे सामाजिक कार्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधिकारी महत्वपूर्ण कार्मिकों की संख्या।

(च) संगठन के लिए कार्य कर रहीं महिला फील्ड वर्करों/सुविधा प्रदाताओं की संख्या।

(छ) संगठन द्वारा सरकारी, द्विपक्षीय, बहु-पक्षीय वित्तीय एजेंसी/संस्थान अथवा संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय सहायता प्राप्त तथा शुरू किए गए परियोजनाओं की संख्या।

14. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

14.1 प्रस्ताव ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएगी।

14.2 ओएएमएस में पूर्ण प्रस्ताव भरने के पश्चात्, उसका प्रिंट लिया जाए और निर्धारित फॉर्मेट में अनुशंसा के लिए जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करें जो "फार्म्स एंड गाइडलाइन्स" के अंतर्गत होमपेज पर उपलब्ध है। जिला प्रशासन ओएएमएस होमपेज पर दिए गए निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार प्रत्ययपत्रों को अभिनिर्धारित करेगा। डीसी/डीएम संबंधित संगठन के लिए अनुशंसाओं की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। संगठन ओएएमएस के माध्यम से अनुशंसाओं की स्कैन प्रति प्रस्तुत करेगा और आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

14.3 योग्य संगठनों की परियोजना को मंत्रालय में स्वीकृति प्रदाता समिति के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। वित्तीय सहायता उन्हीं संगठनों को दी जाएगी, जिनके परियोजना प्रस्ताव को ठीक एवं क्रीम में पाया जाता है तथा जो योजना के उद्देश्यों को पूरा करते हों।

15. प्रस्तावों का मूल्यांकन

15.1 मंत्रालय के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले संगठनों की मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी और स्वीकृति प्रदाता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

15.2 चयन में सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए जनगणना 2011 के कोटे के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व को अपनाया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच बैचों का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी की मिली-जुली प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

15.3 यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिलाओं के समग्र संयुक्त वास्तविक लक्ष्य का उपयोग नहीं किया जाता है, तो अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पंख्यक समुदायों के बीच वितरित किया जाएगा।

16. स्वीकृति प्रदाता समिति

16.1 योजना के कार्यान्वयन के लिए पैनल पात्र संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर निम्नलिखित अनुसार गठित स्वीकृति प्रदाता समिति विचार करेगी और अनुशंसा करेगी:-

(क) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (योजना से संबद्ध) - अध्यक्ष

(ख) संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार/प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य

(ग) प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकस मंत्रालय -सदस्य

(घ) निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, अल्पंसख्यक कार्य मंत्रालय (योजना से संबद्ध) -संयोजक और सदस्य

17. पैनल में शामिल करने एवं धनराशि जारी करने हेतु शर्तें एवं निबंधन

किसी संगठन को पैनल में शामिल करने और उसे वित्तीय सहायता जारी करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होंगी, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किसी भी चरण पर संशोधित किया जा सकता है:-

(क) संगठन की एक वेबसाइट होगी, जिसमें संगठन, मुख्यालय, क्षेत्र कार्यालयों, लैंड लाइन दूरभाष नम्बरों, कार्मिकों, पिछले कार्यों तथा क्रियाकलापों के सभी ब्यौरे प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ख) संगठन के पास सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों; जैसे- संकाय तथा सरकारी पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान, प्रदान किए जाने वाले भोजन, श्रव्य-दृश्य उपकरणों के इस्तेमाल/शिकायतों/पेश आ रही समस्याओं के निदान के लिए याचिकाएं प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की जा रहीं कार्यशालाओं आदि की फोटो लेने के लिए जी.पी.एस. सिस्टम डिजिटल कैमरा होना चाहिए।

(ग) संगठन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 'शर्तों एवं निबंधनों' को स्वीकारते हुए उस सक्षम प्राधिकारी के नाम का वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और दो ज़मानितयों के साथ एक बाँड प्रस्तुत करना होगा

और स्वीकृत अनुदान से संबंधित खातों को प्रस्तुत करने के लिए वह जिम्मेदार होगा। दो ज़मानती प्रस्तुत करने की अपेक्षा केन्द्रीय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्थानों तथा केन्द्र और राज्य सरकार प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

(घ) संगठन को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय सहायता संबंधी अलग खाते का रख-रखाव करना होगा और निरीक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर लेखा-बहियों को उपलब्ध कराना होगा।

(ङ) संगठन वित्तीय सहायता का उपयोग केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए करेगा।

(च) संगठन को वचन-पत्र देना होगा कि इस शर्त के उल्लंघन की दशा में सरकार से ली गई धनराशि को 18 % वार्षिक दांडिक ब्याज के साथ अथवा मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित दांडिक ब्याज के साथ लौटाना होगा तथा सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई अन्य कियी कार्यवाही का सामना करना होगा।

(छ) संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए अकेले जिम्मेदार होंगा कि प्रशिक्षण के लिए पात्रता मापदंड को पूरा करने वाली महिलाओं का ही चयन किया जाए।

(ज) संगठन यह वचन-पत्र देगा कि इस परियोजना से संबंधित उसके बही-खाते केन्द्र सरकार/संबंधित प्रबंध प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से निम्नलिखित कागजातों के साथ उपयोग प्रमाण-पत्रों (जीएफआर-19 ए) और किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होगाः–

(i) वर्ष के लिए विधिवतः लेखा परीक्षित आय-व्यय विवरण/तुलन-पत्र तथा वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि के संदर्भ में संगठन के प्राप्ति और भुगतान का खाता।

(ii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि संगठन ने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अन्य किसी सरकारी/गैर-सरकारी संगठन/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों अथवा संयुक्त राष्ट्र से इसी परियोजना के लिए अन्य कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(झ) संगठन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर प्रशिक्षण की तारीख और स्थान का उल्लेख करते हुए बैनर/बोर्ड लगाये जाएंगे कि प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है।

(ट) संगठन ओएएमएस पर मंत्रालय/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन संबंधी पूर्व सूचना अग्रिम तौर पर देगा ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को तैनात किया जा सके।

(ठ) संगठन ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित करने के प्रमाण स्वरूप इसके फोटोग्राफ और वीडियो क्लिपिंग मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। इन्हें संगठन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा।

(ड) संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तिकाओं, प्रचार सामग्रियों आदि की प्रतियां मंत्रालय/राज्य सरकार को ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।

(ण) सरकार को सहायता अनुदान जारी करने से पहले कोई अन्य शर्त निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(त) गांवों/मोहल्लों में परियोजना प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित स्वीकृत संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात अधिकांश प्रशिक्षक महिलाएं हों और इनमें से कुछ महिलाएं संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों से हों।

18. किस्तों में धनराशि जारी किए जाने संबंधी अपेक्षाएँ

18.1 संगठन द्वारा दो ज़मानतियों के साथ एक बॉन्ड भरना पर्याप्त रहेगा यदि यह संगठन को सीधे जारी की जाने वाली राशि के बराबर का है। दूसरी और बाद की किस्त की राशि जारी किया जाना संगठन द्वारा नीचे उल्लिखित विभिन्न अपेक्षाएं पूरी करने पर आधारित होगा, जिसमें सभी कार्यों/ प्रशिक्षणों का फोटोग्राफिक प्रमाण, संगठन द्वारा ओएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।

18.2 **फोटोग्राफ :** संगठन में उपलब्ध जी.पी.एस. समर्थित कैमरे/मोबाइल फोन के माध्यम से प्रतिदिन के सभी कार्यों का फोटो लिया जाएगा तथा ओएएमएस पर अपलोड किया जाएगा। संगठन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य फोटोग्राफ मंत्रालय और राज्य सरकार को भेजे जाने पर ही दूसरी और बाद की किस्त जारी की जाएगी। संगठन इन फोटोग्राफों को अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे।

19. निधियाँ जारी करना

मंत्रालय द्वारा संबद्ध संगठन के बैंक खाते में स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर धनराशि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निम्नलिखित अनुसार किश्तों में जारी की जाएगी:-

(क) गैर-आवासीय गांवों/शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए:

प्रथम किस्त : स्वीकृत परियोजना लागत का 50 % प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन

और भत्तों/वज़ीफों के लिए व्यय को कवर करती है। कार्यशाला आयोजन के लिए धनराशि एकमुश्त, यदि आवश्यक हो, प्रथम किस्त के साथ जारी की जाएगी।

दूसरी किस्तः प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च की गई अनुमोदित परियोजना लागत/स्वीकार्य लागत का 40 % दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के लेखों के लेखा-परीक्षित ब्यौरों के साथ उपयोग प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के आशय का तथा प्रशिक्षित सभी महिलाओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, जो पंचायत प्रमुख/निगम निकाय/ स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। ये ओएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

तीसरी किस्तः अनुमोदित परियोजना लागत/स्वीकार्य लागत का 10% दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना पूर्णता रिपोर्ट, हैंडहोल्डिंग/संपोषण का विवरण प्रस्तुत करने, जिस पर पंचायत/निगम निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। ये ओएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) आवासीय प्रशिक्षण के लिए

प्रथम किस्त : स्वीकृत परियोजना लागत का 50 % प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धनराशि प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और भत्तों/वज़ीफों के व्यय को कवर करती है। कार्यशाला आयोजन के लिए व्यय एकमुश्त,यदि आवश्यक हो, प्रथम किस्त के साथ जारी किया जाएगा।

दूसरी किस्त : प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च की गई अनुमोदित परियोजना लागत/स्वीकार्य लागत का 50 % दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना के लेखों के लेखा-परीक्षित ब्यौरों के साथ उपयोग प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के आशय का तथा प्रशिक्षित सभी महिलाओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, जो पंचायत प्रमुख/निगम निकाय/ स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो और प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

(ग) गैर-आवासीय प्रशिक्षण के अधीन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भुगतान का तरीका (वैकल्पिक)

(क) भुगतान का 50 % रोजगार-पत्र/ स्वरोजगार का दस्तावेजी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अदा किया जाएगा।

(ख) 50 वैतनिक रोजगार के मामले में लाभार्थी महिला की 3 नियमित वेतन स्लिप और स्व-रोजगार के लिए 3 महीनों की आय प्राप्ति के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा। साथ में सफलता की कहानी भी संलग्न की जाएगी।

20. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधि का अंतरण

20.1 बैंकों द्वारा निधियों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

20.2 संगठन/प्रशिक्षण संस्थान के खाते में पीएफएमएस (इसके मानदंडों के अनुसार) के माध्यम से सीधे ई-भुगतान के लिए समर्थ बनाने के लिए संगठन को भुगतान प्राप्तकर्ता की ओर से एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें संस्थान को ई-भुगतान से संबंधित पूरे ब्यौरे यथा–आदाता का नाम, बचत बैंक खाता सं., आई. एफ. एस.सी. कोड नं., बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और पता आदि शामिल होगा। वजीफे की राशि गलत खाता में जमा किए जाने से बचने के लिए प्राधिकार पत्र पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा और निर्धारित प्रारूप में ओएएमएस पर अपलोड किया जाएगा। सही खाता संख्या उपलब्ध कराना संगठन की जिम्मेदारी होगी।

21. पारदर्शिता

21.1 संगठन की वेबसाइट होना अनिवार्य है, जिसमें संगठन, मुख्यालय, क्षेत्र कार्यालयों, लैंड लाइन दूरभाष नम्बरों, कार्मिकों, पिछले कार्यों तथा क्रियाकलापों के ब्यौरे प्रदर्शित करना आवश्यक है।

21.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रलाय परियोजना को क्रियान्वित करने वाले संगठन, स्वीकृत परियोजनाओं, परियोजनाओं के स्थान, प्रशिक्षणर्थियों के एमआईएस आदि के ब्यौरे भी ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के वेब पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में पोस्ट करेगा।

22. निगरानी एवं मूल्यांकन

22.1 संगठनों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य के पदाधिकारियों तथा कुछ ख्याति-प्राप्त महिलाओं/गैर-सरकारी संगठनों को समीक्षा बैठकों में आमंत्रित करेगा। स्वीकृति प्रदाता समिति द्वारा भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

22.2 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समितियों, जिनमें जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हों, को भी इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग का काम सौंपा जा सकता है।

22.3 कार्यान्वयनकर्ता संगठनों की आर्थिक मॉनीटिरिंग मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों द्वारा भी की जा सकती है जिसके लिए प्रभारों का भुगतान योजना के उप-शीर्ष व्यावसायिक प्रभार से किया जाएगा।

22.4 योजना का मध्याविधि मूल्यांकन किया जाएगा। मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान, मंत्रालय किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण मॉड्यूलों की जरूरत, ऐसे प्रशिक्षणों की वित्तीय व्यवहार्यता, अधिकतम महिलाएं जिनको संगठन द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है, की विशेष रूप से समीक्षा करेगा। इसे प्रचार सहित योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के अंतर्गत, मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है । अनुभव प्राप्त अधिकारियों, महिलाओं, गैर-सरकारी संगठनों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

22.5 परियोजना का प्रभाव आकलन और मूल्यांकन आवधिक रूप से अथवा जब भी अपेक्षित होने पर उपर्युक्त अनुसार मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ऐसे अध्ययनों के लिए धनराशि मंत्रालय की अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन की मौजूदा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

23. योजना की समीक्षा

23.1 मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

23.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय, क्षेत्रीय जरूरतों और लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब भी आवश्यक हो, कार्यान्वयन में सुधार के लिए वित्तीय पहलुओं को शामिल न करके, योजना में परिवर्तन/आशोधन कर सकता है।

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आईबीए मॉडल ऋण योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

उद्देश्य :

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मॉडल ऋण योजना का उद्देश्य जैसा कि संस्थान/संगठन द्वारा आवश्यक है, बैंकिंग प्रणाली से उन लोगों को जो पाठ्यक्रम के तहत पात्र हैं जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना की उपयोगिता :

इस योजना को एसोसिएशन के सभी सदस्य बैंकों या अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाया जा सकता है जैसा कि आरबीआई द्वारा शायद सलाह दी गई है। यह योजना बैंकों को ऋण योजना को प्रचालित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है और कार्यान्वयन बैंक को समझ के अनुसार परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा।

योग्यता क्रिट्रिया :

छात्र एक भारतीय होना चाहिए और सरकार के एक मंत्रालय/मिशन/राज्य कौशल निगम, विशेष रूप से किसी सरकारी संगठन द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र डिप्लोमा/ डिग्री आदि के लिए एक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम योग्य :

सरकार के मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा समर्थित या एक कंपनी/समाज/संगठन समर्थित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशन/राज्य कौशल निगमों द्वारा संचालित या अधिमानत :, 2 महीने से 3 वर्ष की अवधि के व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम।

न्यूनतम आयु :

ऋण के लिए पात्र होने के लिए छात्र की आयु के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, यदि छात्र नाबालिग है और माता-पिता ऋण के लिए दस्तावेज निष्पादित करते हैं, बैंक उससे अनुसमर्थन पत्र प्राप्त करेगा।

वित्त की मात्रा :

नीचे पैरा 6 के तहत किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित अग्रलिखित वित्त होगा :

3 महीने तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	20,000/-	3 से 6 महीने अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	50,000/-
6 महीने से 1 वर्ष अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	75,000/-	1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	1, 50,000/-

यदि आवश्यक हो, तो प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए और नियोजनीयता (नौकरी की आय से चुकाने की क्षमता) की प्रकृति के संबंध में बैंक एक वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए उच्चतर सीमाओं की स्वीकृति पर विचार कर सकते हैं।

ऋण के लिए विचार किया गया एक्सपर्ट:

शिक्षण/पाठ्यक्रम शुल्क परीक्षा/पुस्तकालय/लैबोरेटरी शुल्क जमा पुस्तकों के उपकरण और उपकरणों की खरीद
पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई अन्य उचित व्यय

मार्जिन	शून्य	प्रक्रिया शुल्क	शून्य

ब्याज की दर :

ब्याज दर बैंकों की आधार दर से जुड़ी होगी। यदि ब्याज सब्सिडी केंद्र राज्य/सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तो कम दर पर अध्ययन अवधि के दौरान और चुकौती के प्रारंभ तक साधारण ब्याज का प्रभार लिया जाएगा।

सुरक्षा :

कोई संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं ली जाएगी। अभिभावक संयुक्त उधारकर्ता के रूप में छात्र उधारकर्ता के साथ ऋण दस्तावेज़ निष्पादित करेगा।

मोरेटोरियम अवधि :

पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, चुकौती एक अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होगी जैसा कि नीचे बताया गया है 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए-पाठ्यक्रम के पूरा होने से 6 महीने, पाठ्यक्रम पूरा होने से 1 वर्ष से 12 महीने से ऊपर की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए।

चुकौती :

अधिस्थगन अवधि के बाद ऋण बराबर मासिक किश्तों में (ईएमआई) निम्नानुसार चुकाया जाएगा:

1 वर्ष तक के पाठ्यक्रम	2 से 5 वर्ष में	1 वर्ष से ऊपर के पाठ्यक्रम	3 से 7 वर्ष में।

पूर्वभुगतान :

उधारकर्ता चुकौती के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय ऋण चुका सकता है।

अन्य नियम और शर्तें :

भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए "आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना" पर लागू अन्य नियम और शर्तें भी इस योजना पर लागू होंगी।

शिक्षा ऋण वितरित करने के लिए एनएमडीएफसी की राज्य चैनल एजेंसियाँ।

1. **आँध्र प्रदेशः** माइनर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, रज़ाक मंज़िल, 5वीं मंजिल, हज हाऊस, नेम्पली हैदराबाद - 500 001 (ए०पी०), फोन 040-23244500 फैक्स : 23244368
2. **असम :** विकास और वित्त निगम लिमिटेड, आर०जी०बी सड़क, गणेशगुड़ी, गुवाहाटी **फोन :** 0361-2595480 **फैक्स :** 2207373
3. **बिहार :** वित्तीय निगम लिमिटेड, 34 अली इमाम पथ, हार्डिंग सड़क, पटना -1, **फोन :** 0612-2204975, **फैक्स :** 2215994
4. **चंडीगढ़ :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, एडल टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल सेक्टर 17-जी चडीगढ़, **फोन :** 0172-2707527 **फैक्स :** 2708690
5. **छत्तीसगढ़ :** कोणत्याही कॉर्प, वित्त और देव कॉर्प लिमिटेड, बी-9, सेक्टर-5 देवेंद्र नगर, रायपुर - 492005, **फोन :** 0771-4248601-15 **फैक्स :** 4248617
6. **दिल्ली :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम, अंबेडकर भवन, संस्थागत सेक्टर -16 रोहिणी, दिल्ली - 110085, **फोन :** 011-27570627 **फैक्स :** 27572630
7. **गुजरात :** गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नं. 11, डॉ0 जीवराज मेहता भवन, गाँधीनगर -382010, **फोन :** 079232-54583, **फैक्स :** 54152
8. **हरियाणा :** हरियाणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम एससीओ 813-14 सेक्टर-22-ए, चंडीगढ़ **फोनः** 0172-2701722, 2701074, **फैक्स :** 2726826

   मेवात विकास अभिकरण, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एनयूएच, जिला मेवात, हरियाणा, **फोन :** 01267-271461 **फैक्स :** 01267-271461
9. **हिमाचल प्रदेश :** एच०पी० अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, एसडीए परिसर, ब्लॉक नं० 38, प्रथम तल कासमपती, शिमला-171009, **फोन :** 0177-2621271 **फैक्स :** 2622164
10. **जम्मू और कश्मीर :** जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम, ब्लॉक-ए, पहली मंजिल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर **फोन :** 0194-2458013. **फैक्स :** 2458013

जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम, 615-ए, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे, गांधी नगर, जम्मू **फोन :** 0191-2430321 **फैक्स :** 2430321

जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बीसी विकास निगम, रोमेश मार्केट शास्त्री नगर, जम्मू-180004 **फोन :** 0191-2451762 **फैक्स :** 2433229

11. **झारखंड :** झारखंड राज्य अनुसूची जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, बलिहार रोड, मोरबाडी, राँची -834008 झारखंड, **फोन :** 0651-2552398 **फैक्स :** 2541686

12. **केरल:** केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, 'सेन्टिनेल' टीसी नं. 27 / तिरुअनंतपुरम - 695035, **फोन :** 0471-2577539, 2577550, **फैक्स :** 2317539

केरल राज्य महिला विकास समिति लिमिटेड, टी०सी० 20/ओ० पी० मनमोहन बंगला, कोवडिअर पी०ओ० **फोन :** 0471-2727668 **फैक्स :** 2316006

13. **कर्नाटक :** कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड, 12वीं मंजिल, मुख्य टॉवर, डॉ० अम्बेडकर वेदी बैंगलोर - 560001, **फोन :** 080-22864782 **फैक्स :** 22864782

14. **महाराष्ट्र:** मौलाना आजाद अल्पसंख्यक विकास निगम, दूसरी मंजिल पुराना कस्टम हाउस, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400023 **फोन :** 022-22653080 **फैक्स :** 22672294

15. **मिजोरम :** मिजोरम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जे० लाल मिगालियाना बिल्डिंग, टिकुअल 'ए' (नीचे टेनिस कोर्ट) **फोन :** 0389-2317390 **फैक्स :** 2326271

मिजोरम सहकारी अपेक्स बैंक, बाजार बुंगकावन, पीबी -138, आइजोल, **फोन :** 0389-232744 **फैक्स :** 2327764

16. **मध्य प्रदेश :** म०प्र० पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, परिसर -2, प्रथम तल, राजीव गांधी भवन 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002 **फोन :** 07555-2660209 **फैक्स :** 2660175

17. **मणिपुर :** पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास समिति, मणिपुर सरकार, राज्यपाल रोड, मणिपुर, **फोन :** 0385-2442539 **फैक्स :** 2442539

18. **नागालैंड :** नागालैंड औद्योगिक विकास कॉर्प लिमिटेड, आईडीसी हाउस, पी०बी० नं० 5 दीमापुर - 797112, **फोन :** 03862-230571 **फैक्स :** 226473

नागालैंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, नया सचिवालय परिसर पोस्ट बॉक्स 229, डीआईपीआर कार्यालय के नीचे, कोहिमा-797001 नागालैंड। **फोन :** 0370-2270301, 2270301 **फैक्स :** 224591

19. **उड़ीसा :** उड़ीसा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, प्रश्न नं० ए/6, यूनिट-वी, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर-751001 **फोन :** 0674-2391061

20. **पांडिचेरी :** पांडिचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम, नं० 5 जमींदार गार्डन, पुडुचेरी-605001, **फैक्स :** 0413-2325859

21. **पंजाब :** पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम, एससीओ नंबर 60-61, सेक्टर 17ए, चंडीगढ़-160017 **फोन :** 0172-2705982 **फैक्स :** 2705995

22. **राजस्थान :** राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अम्बेडकर भवन, प्लॉट नं०- 3/403/412, आईएलआरडी तल, जयपुर, **फोन :** 0141-2220721

23. **तमिलनाडु:** तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास कार्पोरेशन, 807, अन्ना साली, पाँचवाँ तल, पोस्ट बॉक्स 2785, चेन्नई-600002 **फोन :** 044-28514846 28515450

24. **त्रिपुरा:** त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम लिमिटेड, पी आ झील चौमुहानी, कृष्णा नगर, अगरटाला, वेस्ट त्रिपुरा - 79 99 001, **फोन :** 0381-2326512

25. **उत्तर प्रदेश :** उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लिमिटेड, 746, 7वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ -226001, **फोन :** 0522-2286158, 2286854, 2286401, **फैक्स :** 2286053

26. **उत्तरांचल :** उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, 161, पुराने नेहरु कालोनी वाई, देहरादून, उत्तरांचल

27. **पश्चिम बंगाल :** पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, भवानी भवन प्रथम तल, (पश्चिम), अलीपुर, कोलकाता - 700027, **फोन :** 033-24792893,24792998, **फैक्स :** 24792995

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न
शिक्षा ऋण

प्रश्न . किस प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दी जाती है?

उत्तर. शिक्षा ऋण शिक्षा के सभी प्रकार अर्थात् सामान्य, व्यावसायिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

प्रश्न. इस योजना के तहत किस लागत का वित्तपोषण किया जाता है?

उत्तर. योजना जरूरतमंद छात्रों को भारत के साथ-साथ विदेश में अध्ययन के लिए निम्नलिखित लागतों को पूरा करने में सक्षम बनाता हैः प्रवेश शुल्क, किताबें, पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक उपकरण, मासिक शुल्क, उधार लेने वाले छात्र की जीवन पॉलिसी के लिए शुल्क बीमा प्रीमियम, सावधानी जमा/निर्माण निधि/बिलों/प्राप्तियों द्वारा समर्थित जमा, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक अध्ययन पर्यटन/परियोजना कार्य/व्यय आदि जैसे व्यय, बोर्डिंग और आवास व्यय और यात्रा व्यय/विदेश में पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए हवाई किराया सहित धन।

प्रश्न. इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर. छात्र पात्रता

- एक भारतीय होना चाहिए
- प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक /तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुरक्षित प्रवेश
- विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थानों में सुरक्षित प्रवेश।
- छात्रों के लिए योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किया जाना चाहिए।

प्रश्न. मैं कितना ऋण राशि का लाभ उठा सकता हूँ?

उत्तर. मार्जिन के साथ माता-पिता/छात्रों की चुकौती क्षमता के अधीन आधारित वित्त की आवश्यकता निम्नलिखित के अधीन :

- भारत में अध्ययन के लिए : 7.50 लाख रुपये
- विदेश में पढ़ाई के लिए : 15.00 लाख रुपये

प्रश्न. बैंक द्वारा आवश्यक सुरक्षा क्या है?

उत्तर. उधारकर्ता की व्यक्तिगत दायित्व के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक है :

रु० 4.00 लाख रुपये तक : कोई सुरक्षा नहीं।

रु० 4.00 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक : सुटेबल मूल्य की कोलट्रेल सुरक्षा या उपयुक्त 3 पार्टी गारंटी।

प्रश्न. ऋण में ब्याज की विधि क्या है?

उत्तर. ऋण की चुकौती शुरू होने तक वितरण की तारीख से साधारण दर पर ब्याज लिया जाएगा, इसके बाद शेष राशि को कम करने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है।

प्रश्न. ऋण की चुकौती कब शुरू होती है?

उत्तर. चुकौती पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी पाने के 6 महीने के बाद जो भी पहले हो, शुरू होगा।

प्रश्न. चुकौती अनुसूची क्या है?

उत्तर. 60 से 84 मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है।

"हमारी धरोहर"

भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना 2017 (28.09.2017 से लागू)

1. भूमिका

1.1 भारत सरकार विविधता में एकता में विश्वास रखती है जो भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। भारत का संविधान भारत के समुदायों सहित सभी समुदायों को अपने धर्म एवं संस्कृति को मानने का समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करता है। संविधान की भावना का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि अल्पसंख्यकों विशेषकर, अल्पतम अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति का सहकार करने तथा कैलीग्राफी एवं संबंधित शिल्पों को सहायता प्रदान करने की प्रबल आवश्कता है।

1.2 भारत में 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। वे हैं मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन। 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, बौद्धों और जैनों की आबादी कम अर्थात् एक करोड़ से कम है। पारसियों की संख्या तो एक लाख से भी कम है, इसलिए वह अल्पतम अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

1.3 भारत के अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर, पारसियों, ईसाईयों, बौद्धों इत्यादि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों में जानकारी की आम कमी है। समुदायों की संस्कृति एवं समृद्ध विरासत के बारे में पर्याप्त जानकारी से लोगों में बेहतर समझ विकसित होती है और सहिष्णुता एवं सामाजिक ताना-बाना मजबूत होता है।

1.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को कार्य आबंटन के अनुसार कानून और व्यवस्था को छोड़कर अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी मामलों की देख-रेख करने का अधिदेश प्राप्त है। अतएव, सरकार की प्राथमिकता के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंशा भारत को अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध संस्कृति और विरासत का संरक्षण करने के लिए "हमारी धरोहर" नामक एक नई योजना आरंभ करने की है।

2. उद्देश्य

2.1 भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।

2.2 प्रदर्शनियों को क्यूरेट करना।

2.3 साहित्य/दस्तावेजों का संरक्षण।

2.4 कैलीग्राफ आदि को सहायता एवं संवर्धन।

2.5 अनुसंधान एवं विकास।

3. योजना के अंतर्गत शामिल क्रियाकलापः

3.1 विरासत के संरक्षण के लिए चुनिंदा हस्तक्षेप और निम्न प्रकार की परियोजनाओं को कवर किया जा सकता है-

(क) विरासत को प्रदर्शित तथा संरक्षित करने के लिए आइकोनिक प्रदर्शनियों / नृत्य कला सहित प्रदर्शनियों को क्यूरेट करना;

(ख) कैलीग्राफी आदि के लिए सहायता एवं संवर्धन देना;

(ग) साहित्य, दस्तावेज, पाण्डुलिपि आदि के संरक्षण;

(घ) मौखिक परंपराओं / कला विधाओं का प्रलेखन;

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत एवं इतिहास को प्रदर्शित करने एवं संरक्षण करने हेतु 'एथनिक संग्रहालयों' (संस्कृति मंत्रालय अथवा इसके निकायों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता न प्राप्त) के लिए सहायता देना;

(च) विरासत से संबंधित सेमीनारों / कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन;

(छ) विरासत के संरक्षण और विकास में अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति;

(ज) अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तियों /संस्थानों को अन्य कोई सहायता।

4. ज्ञान भागीदार :

4.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस क्षेत्र के विशेष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों की सहायता से संस्कृति मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा करके इस योजना को क्रियान्वित करेगा। ज्ञान भागीदार निम्नानुसार हो सकते हैं-

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली;

(ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली;

(घ) राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए);

(ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए);

(च) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को);

(छ) भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (आईएनटीएसीएच);

(ज) विश्व स्मारक निधि।

(झ) संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तित्व

5. क्रियान्वयनकर्त्ता संगठन

5.1 परियोजना के लिए परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियाँ (पीआईए) (नीति आयोग में पंजीकृत):

(क) राज्य पुरातत्व विभाग / एजेंसियाँ

(ख) राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हो तथा विरासत के ऐसे क्यूरेटिंग कार्यों का अनुभव रखता हो।

(ग) प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हों तथा विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों।

(घ) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए कार्य कर रहे पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्थान, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हों तथा विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों।

(ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शोध संस्थान जिन्हें विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव एवं सुविधा हो।

(च) केंद्र / राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव एवं सुविधा हो।

(छ) सांस्कृतिक एवं विरासत के महत्व की मदों का संरक्षण एवं क्यूरेशन में लगे ट्रस्ट, कंपनियों, भागीदारी फर्म अथवा सोसायटियाँ जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत हो।

5.2 अध्येतावृत्तियाँ: अध्येतावृत्तियाँ निम्नलिखित पात्रता मापदंड के अनुसार प्रदान की जाएँगी:

(क) उम्मीदवार अधिसूचित अल्पसंख्यक होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उस क्षेत्र में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए जिसमें वह उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहता / चाहती है।

(ख) उसे किसी विश्वविद्यालय / संस्थान में नियमित एम०फिल०/पी-एच०डी० के लिए प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।

(ग) उसकी आयु 35% वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) वार्षिक लक्ष्यों की 35% सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की जाएँगी।

(ङ) अध्येतावृत्तियाँ शोध उन्मुख परियोजना करने के लिए प्रदान की जाती है। आवेदन को परियोजना करने में अपनी क्षमताओं का प्रमाण प्रदान करना चाहिए।

(च) अध्येतावृत्तियाँ कार्यशाला, सेमिनार आयोजित करने अथवा संस्मरण अथवा आत्मकथा, कहानी आदि लिखने के लिए नहीं दी जाती है।

6. योजना का क्रियान्वयन

6.1 यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 6 (छह) अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी तथा जैन) की समृद्ध विरासत का संरक्षण करने के लिए क्रियान्वित की जाएगी।

6.2 योजना की शुरुआत समूचे देश में की जा सकती है।

6.3 यह योजना 14वीं वित्तीय आयोग की शेष तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए क्रियान्वित की जाएगी।

7. सहायता का स्वरूप और मात्रा

7.1 यह एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और चुनिंदा पीआईए के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सीधे क्रियान्वित की जाएगी।

7.2 इस योजना के अंतर्गत सहायता अल्पसंख्यकों के समृद्ध विरासत के सभी रूपों के संरक्षण तथा प्रचार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने और उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से अवसंरचना विकास हेतु पूँजी लागत सहित आवर्ती अनुदानों और अनावर्ती अनुदानों के रूप मे मुहैया कराई जाएगी।

7.3 चूँकि विरासत के सुधार और संरक्षण में विशेष जरूरतों के आधार पर अनेक क्रियाकलाप शामिल होंगे, अतः मदों को चिन्हित करना और मद-वार लागत निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा। लागत किए जा रहे कार्य के किस्म पर आधारित होगी।

7.4 परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा संस्तुत परियोजनाएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएँगी। सचिव (अ०का०) परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की अनुशंसा को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7.5 सहायता अध्येतावृत्ति, समृद्ध विरासत के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों तथा इसके संरक्षण और संवर्द्धन के साथ-साथ विरासत शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं, इसे लोकप्रिय बनाने और कार्यों आदि के लिए भी मुहैया कराई जाएगी। अध्येतावृत्ति वरिष्ठ शोधकर्ताओं के लिए यूजीसी के विद्यमान वित्तीय मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

8. निधियाँ जारी करना

8.1 परियोजना के अनुमोदन पर निधियाँ 3 किस्तों अर्थात् 40:40:20 में निर्मुक्त की जाएँगी। निर्मुक्ति हेतु निधियाँ पीआइए को उनके खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा चुनिन्दा पीआईए को सीधे संवितरित की जाएँगी।

8.2 पीआईए को सभी भुगतान उनके मानदंडों के अनुसार पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा।

8.3 परियोजनाओं के संबंध में निधियों के निर्मुक्ति की किस्तों का स्वरूप निम्नानुसार होगाः

1. प्रथम किस्त

प्रथम किस्त (अर्थात् परियोजना लागत का 40%) परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद निर्मुक्ति की जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी निर्धारित प्रपत्र में एक बांड तथा बैंक ब्यौरे प्रस्तुत करेगी।

2. दूसरी किस्त

परियोजना लागत के 40% की दूसरी किस्त निम्नलिखित के अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगीः

(क) लेखा-परिक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र से समर्थित प्रथम किस्त के 90% का लेखा परीक्षित उपयोग।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय / राज्य सरकार / मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी निरीक्षण प्राधिकरण की टीम द्वारा कार्य का ऑन-साइट निरीक्षण।

(ग) लेखा परीक्षित रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण।

(घ) किए गए कार्यों की तस्वीरों का प्रस्तुतीकरण।

3. तीसरी किस्तः

परियोजना लागत के 20% की तीसरी तथा अंतिम किस्त अग्रलिखित के अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगीः

(क) तस्वीरों के साथ परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट।

(ख) प्रथम और दूसरी किस्तों में नियुक्ति संपूर्ण 80% निधियों हेतु लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र

(ग) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखे।

(घ) परियोजना में यथा अपेक्षित प्रदानगियाँ पूरी हों तथा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय / राज्य सरकार / अन्य किसी निरीक्षण प्राधिकरण की टीम द्वारा आकस्मिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित हो।

8.4 अध्येतावृत्तियों के मामले में, निधियाँ निम्नानुसार भी जारी की जाएँगी:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वरिष्ठ शोधकर्ता के लिए दरें लागू होंगी। अध्येतावृत्ति तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। प्रथम और द्वितीय वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति 25,000/- रु० प्रतिमाह की दर से होगी और तीसरे वर्ष के लिए अनुसंधान कार्य की प्रगति के आधार पर यह 28,000/- रु० प्रतिमाह पर अधिकतम एक और वर्ष एक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) अध्येतावृत्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए स्वीकार्य होगी। यदि शोध 3 वर्षों के भीतर पूर्ण नहीं होता है तो इसे मामले के गुण और शोध कार्य की प्रगति के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से 28,000/- रु० प्रतिमाह पर अधिकतम एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ई-अंतरण के माध्यम से छात्र बैंक खाते में अर्धवार्षिक आधार (एक ही बार में 6 महीनों की अध्येतावृत्ति) पर निधियाँ अंतरित की जाएँगी। पहले वर्ष की पहली निधि पीएच.डी. में प्रवेश प्राप्त करने के 6 महीने के उपरांत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। तदनंतर निधियाँ प्रत्येक 6 महीने के पश्चात् तदनुसार अंतरित की जाएँगी।

9. आवेदन की प्रक्रिया

9.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से समाचार-पत्रों तथा मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट में विज्ञापन के माध्यम से चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। मंत्रालय उन विशेषज्ञ संगठनों को जो निर्धारित प्रपत्र में परियोजना प्रस्तुत करते हैं तथा संगत क्षेत्र में अपने कार्यानुभव हेतु विख्यात हैं अथवा क्यूरेटिंग कार्य हेतु संस्कृति मंत्रालय के पैनल में शामिल हैं, परियोजनाएँ दे सकता है। इसी तरह मंत्रालय संगत क्षेत्र में अध्येतावृत्ति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि अभ्यर्थी इस दिशा-निर्देश के पैरा 5.2 में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

9.2 परियोजना प्रस्तावों की जांच प्रचालात्मक दिशा-निर्देश के आधार पर, अनिवार्य मानदंड के लिए विहित पूर्व-निर्धारित बिंदु-आधार प्रणाली पर की जाएगी तथा मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

9.3 तथापि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास बिना कोई सूचना दिए किसी स्तर पर चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

9.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्राधिकृत संगठनों/संस्थानों के माध्यम से पीआईए के प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कर सकता है।

9.5 चुनिंदा पीआईए के प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) के अनुमोदन से विचार किया जाएगा।

10. परियोजना मंजूरी समिति (पीएसी)

10.1 परियोजना लागत सहित संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजना की संयुक्त सचिव (संबंधित) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा जांच तथा विचार किया जाएगा। पीएसी में संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के सदस्य हो सकते हैं। पीएसी आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ संस्थानों को सह-योजित कर सकती है।

10.2 परियोजना मंजूरी समिति के पास परियोजना (परियोजनाओं) की जांच तथा अनुशंसा का अधिकार है।

11. परियोजना की निगरानी

(i) जब परियोजना चल रही हो तब प्रगति का सतत् माप निगरानी होता है, जिसमें प्रगति की जांच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों तथा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना शामिल होता है।

(ii) मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय / राज्य सरकार / अन्य किसी निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा समवर्ती निगरानी और औचक जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(iii) मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं की निगरानी कर सकते हैं। इससे एकत्र की गई सूचना को निधियों को जारी करने तथा परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में रखा जाएगा।

(iv) कुल लागत का 5% परामर्शन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन सहित योजना के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए, आवश्यकता अनुसार संविदागत आउटसोर्स स्टॉफ के साथ एक परियोजना प्रबंधन स्थापित किया जाएगा। संविदागत स्टॉफ को लगाने हेतु संगत जीएफआर का अनुसरण

किया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय योजना के प्रशासन और प्रबंधन हेतु निर्धारित 5% बजट से वहन किया जाएगा।

12. प्रशासनिक व्यय

मंत्रालय को इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आवंटन का 5% तक पोर्टल प्रबंध, कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण और अन्य उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी की खरीद और सॉफ्टवेयर विकसित करने डाटा एंटरी और विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित कार्मिक/एजेंसी के साथ अनुबंध करने प्रस्तावों पर कार्यवाई करने रिपोर्टों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन, टेलीफोन पर कार्मिक तैनात करने या ऐसे क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग, विज्ञापन जारी करने, अध्यापन और प्रशिक्षण सामग्री बनाने, कार्यशालाओं और सम्मेलनों इत्यादि के लिए हमारी धरोहर योजना के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए स्वीकृत दी जाएगी। कार्यशाला/सम्मेलन में योजना के उद्देश्य को लोकप्रिय और आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह शामिल है। इसकी लागत में समारोह के आयोजन, टीए / डीए और विविध खर्च भी शामिल होंगे।

प्रशासन और प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुसार अनुबंध आधार पर आउटसोर्स के दो परामर्शी सहित एक परियोजना प्रबंधन एकक स्थापित किया जाएगा। परामर्शियों को रखने के लिए संगत जीएफआर प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा। व्यय योजना के प्रशासन और प्रबंधन के लिए अलग रखे गए 5% बजट में से किया जाएगा।

इन दो परामर्शियों की लागत लगभग 8,40,000/- रु० प्रतिवर्ष, 35,000 रु० प्रतिमाह की दर से होगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार एक चपरासी की लागत 1,50,000/- रु० प्रतिवर्ष के लगभग जो 12,500/- रु० प्रतिमाह के दर से होगी।

13. लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय के पास परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार सुरक्षित है, यदि इसे आवश्यक समझा जाता है, इसमें सीएजी द्वारा और मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा-परीक्षा शामिल है। पीआईए इस प्रयोजन के लिए सभी संगत अभिलेखों को मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

(ii) वित्तीय लेखा-परीक्षा सांविधिक उपबंधों के अनुसार पीआइए के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी है और परियोजना के लेखों का अनुरक्षण सार्थक लेखा-परीक्षा को सुविधाजनक

14. नियम एवं शर्तें

चयनित पीआईए को परिशिष्ट पर दिए गए अनुसार योजना के नियम व शर्तें मानना अनिवार्य होगा।

15. योजना की समीक्षा

यह योजना प्रतिष्ठित स्वतंत्र अभिकरण द्वारा मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन करने के उपरांत 14वें वित्तीय आयोग अवधि अर्थात् 2017-18 से 2019-20 के अंतिम वर्ष में समीक्षा करने के अध्यधीन होगी।

'हमारी धरोहर' योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता-अनुदान चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों / संगठनों / संस्थानों / व्यक्तियों (इसके पश्चात् संगठन) द्वारा निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन हैं:

1. कि संगठन, जो योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक है, योजना के अंतर्गत यथा विहित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा;
2. अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यह परियोजना के गुणावगुण आधार पर भारत सरकार के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है;
3. कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इस आशय की लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि इस दस्तावेज में समाविष्ट तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर यथा संशोधित शर्तें उसे स्वीकार्य हैं;
4. कि संगठन भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रु० के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एक बाँड निष्पादित करेगा कि वह अनुदान और योजना से संबंधित उन निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा, जो समय-समय पर संशोधित की जाती है और यह कि उसके अनुपालन में असफल रहने के मामले में, वह सरकार को इस परियोजनार्थ संस्वीकृत कुल सहायता-अनुदान करे, उस पर लगने वाले ब्याज के साथ सरकार को लौटा देगा और कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा;
5. कि मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त अस्थायी/नियमित कर्मचारियों को किसी किस्म के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा;
6. कि संगठन इस अनुदान के संबंध में राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक में अलग से एक खाता रखेगा। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को 10,000/- रु० और उससे ऊपर की सभी प्राप्तियाँ और भुगतान चैक अथवा इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से ही किए जाएँगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से परियोजना को जारी रखने के लिए अनुदान मांगने के समय संस्वीकृत परियोजना को चलाने के संबंध में किए गए सभी सौदों को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ये खाते मंत्रालय, भारत के नियंत्रक / अधिकारियों को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। संगठन या तो सीएजी के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित सहायता-अनुदान लेखाओं को रखेगा और हर हालत में प्रत्येक वर्ष के जून माह के अंतिम

सप्ताह तक मंत्रालय को सा०वि०नि० 19 (क) में उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखाओं की प्रति भेजेगाः

(क) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता-अनुदान की प्राप्ति और भुगतान लेखा;

(ख) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता-अनुदान की आय और व्यय के लेखे;

(ग) मांगे गए सहायता-अनुदान से परिसंपत्तियों और दायित्वों को दर्शाने वाला तुलन-पत्र;

(घ) मद-वार ब्यौरा के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (सा०वि०नि० - 19क) में उपयोग-प्रमाण पत्र;

(ङ) वर्ष के लिए संपूर्ण रूप में संगठन के लेखा परीक्षित लेखे।

7. कि संगठन मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए उसने सहायता-अनुदान प्राप्त किया है।

8. कि सहायता-अनुदान की मदद से प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ पंथ, धर्म, रंग आदि का ध्यान दिए बिना सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध होंगी;

9. कि संगठन सरकारी स्रोतों सहित अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन / परियोजना के लिए अनुदान-प्राप्त नहीं करेगा।

10. कि संगठन, सहायता-अनुदान को पथांतरित नहीं करेगा अथवा उस परियोजना का निष्पादन किसी अन्य संगठन या संस्थान को नहीं सौंपेगा, जिसके लिए सहायता-अनुदान स्वीकृत किया गया है;

11. कि यदि सरकार परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है अथवा यह समझती है कि योजना के दिशा-निर्देशों, स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके पास तत्काल प्रभाव से सहायता-अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और वह पूर्व सूचना के साथ अथवा इसके बिना दंड सहित निधियाँ वसूल करने की अथवा ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसी संगठन को एक बार काली सूची में डाल दिए जाने पर, उसे भविष्य में अनुदान देने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उसे किसी समय काली सूची से हटा ही दिया गया हो;

12. कि परियोजना के नवीकरण के समय अनुदान का कोई अव्ययित शेष मंत्रालय द्वारा बाद में अनुमेय अनुदान में समायोजित कर दिया जाएगा;

13. कि इस सहायता-अनुदान से पूर्ण रूप से अथवा काफी हद तक अर्जित किसी परिसंपत्ति का निपटान अथवा उसे ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा और अथवा जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है, उससे इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा;

14. संगठन इस सहायता-अनुदान से प्राप्त की गई पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी और अर्धस्थायी परिसंपत्तियों का सा०वि०नि० (19) में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा। यह रजिस्टर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक / भारत सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अनुदान के संबंध में रजिस्टर का अलग से अनुरक्षण किया जाएगा और लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उसकी एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी;

15. वार्षिक अनुदान की दूसरी और अंतिम किस्त की नियुक्ति अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार वर्ष के दौरान पहले जारी की गई किस्तों के समुचित उपयोग का संगत साक्ष्य मुहैया कराने की शर्त पर होगी;

16. संगठनों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मौजूदा सेवाओं के तालमेल हेतु जिला प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। इन्हें स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी संपर्क कायम करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके पास संस्थागत व्यवस्थाएँ भी होनी चाहिए;

17. सामान्य वित्तीय नियम 150(2) के उपबंध वहाँ लागू होंगे, जहाँ गैर-सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

18. संगठन परियोजना स्थल पर उपयुक्त रूप से बोर्ड लगाएगा जिस पर यह व्यक्त किया जाएगा कि यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चलाई जा रही है;

19. अनावर्ती मदों (यदि कोई है) की खरीद प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर केवल प्राधिकृत विक्रेताओं से खरीदी जानी चाहिए और उनके बाउचर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे;

20. कि संगठन लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेगा;

21. नई परियोजनाओं के मामले में, संगठन परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख में इस मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित करेगा और यह संगठन द्वारा उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;

22. कि संगठन इन अनुदानों से किसी धार्मिक / सांप्रदायिक / रूढ़िवादी / विभाजक विश्वासों अथवा सिद्धांतों की हिमायत नहीं करेगा अथवा बढ़ावा नहीं देगा;

23. न्यायालय मामले की स्थिति में, संगठन तब तक किसी सहायता-अनुदान का हकदार नहीं होगा, जब तक मामला न्यायालय में लंबित है; मंत्रालय कार्यान्वयनकर्ता संगठन और तीसरे

पक्ष के बीच किसी कानूनी / बौद्धिक / संविदागत विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदान स्वीकार करके, प्राप्तकर्ता इस शर्त को स्वीकार करता है;

24. अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध मे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा;

25. संगठन को योजना के सभी उक्त निबंधन एवं शर्तों, दिशा-निर्देशों, सा०वि०नि० के उपबंधों और उनमें किसी पश्चवर्ती संशोधन / परिवर्तन का अनुपालन करना होगा।

26. सभी पीआईए, जो केंद्रीय / राज्य सरकार डोमेन के अंतर्गत नहीं आते हैं, को नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

अध्यक्ष / सचिव / सीईओ के हस्ताक्षर

स्थान :

(पूरा नाम)

दिनांक :

पद

सरकारी मुहर

संरक्षित करने की योजना 'हमारी धरोहर' के लिए प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश 2017 (28.09.2017 से लागू)

मंत्रालय इस योजना के अधीन विचार की जाने वाली परियोजना के लिए और एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड का अनुसरण करेगा :

1. **पात्र संगठन**

(क) राज्य पुरातत्व विभाग/एजेंसियाँ

(ख) राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हो तथा विरासत के ऐसे क्यूरेटिंग कार्यों का अनुभव रखता हो।

(ग) प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन, जो सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हों तथा विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों। भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत हो।

(घ) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हों तथा विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव रखते हों।

(ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शोध संस्थान जिन्हें विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव एवं सुविधा हो।

(च) केंद्र/राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें विरासत के ऐसे संरक्षण संबंधी कार्यों का अनुभव एवं सुविधा हो।

(छ) सांस्कृतिक एवं विरासत के महत्व की मदों का संरक्षण एवं क्यूरेशन में लगे ट्रस्ट, कंपनियाँ, भागीदारी फर्म अथवा सोसाइटियाँ जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत हों।

2. पात्रता शर्तें

(क) संगठन/संस्थान के पास न्यूनम तीन वर्ष की अवधि का अनुभव होना चाहिए।

(ख) संगठन/संस्थान के पास अपनी परियोजना को प्रमाणित करने की सुविधाएँ, संसाधन, कार्मिक और अनुभव होना चाहिए।

(ग) संगठन वित्तीय रूप से व्यवहार होना चाहिए और उसके पास पिछले तीन वर्षों से कोई घाटे का लेखा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पिछले वर्षों के विधिवत रूप से लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

(घ) संस्थान को नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

(ङ) संगठन के पास विरासत के संरक्षण और क्यूरेटिंग से संबंधित कम-से-कम एक परियोजना हो, जो इस मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत निर्धारित क्रियाकलापों के अनुरूप हो।

(च) एजेंसी या इसका मालिक किसी बैंकिंग/वित्तीय संस्थान द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।

(छ) संगठन या इसका कोई अध्यक्ष किसी दांडिक अपराध के लिए दोषी न ठहराया हो। इस खंड के समर्थन में नोटरी द्वारा प्रमाणित एक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ड़) नीति आयोग या किसी केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग/एजेंसी द्वारा सूची से निकाली गई फर्म/संगठन/संस्थान स्वीकार्य नहीं होगा।

3. चयन के लिए मापदंड

(क) प्रस्ताव पात्रता मापदंड के आधार पर मंत्रालय द्वारा पहले देखा जाएगा और आगे जांच के लिए परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(ख) परियोजना अनुमोदन समिति के सदस्यों के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहाकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय

अभिलेखागार, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ग) समिति इस बात का मूल्यांकन करेगी कि क्या प्रस्ताव में दर्शाया गया क्रियाकलाप विरासत के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) समिति प्रस्ताव की जांच करते समय सामान्य रूप से यह निर्णय लेने के लिए कि मद विरासत के मानदंडों के भीतर आती है, निम्नलिखित मापदंड का अनुसरण करेगी–

(i) संरक्षण के लिए प्रस्तावित मद भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की पुरानी संस्कृति को दर्शाने वाली होनी चाहिए।

(ii) प्रस्तावित मद मानव प्रतिभा के मास्टरपीस को दर्शाने वाली होनी चाहिए।

(iii) इसे एक समय अवधि के दौरान या देश के किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर सभ्यता, वास्तुशिल्प, साहित्य, दस्तावेजों, स्मारकीय कलाओं/शिल्पों, डिजाइन इत्यादि की उत्पत्ति और विकास पर मानव मूल्यों के पारस्परिक बदलाव को प्रदर्शित करना चाहिए।

(iv) इसे समुदाय के इतिहास के महत्वपूर्ण स्तरों का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।

(v) इसे पारंपरिक संस्कृति या सामुदायिक आदान-प्रदान विशेषकर जो एक समय अवधि के दौरान संवेदनशील बन गई हो, का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।

(vi) इसे प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से घटनाओं या जीवंत परंपराओं, विचारों या विश्वासों, उत्कृष्ट विश्वस्तरीय महत्व के कलात्मक और साहित्यिक कार्यों से संबद्ध होना चाहिए।

(vii) प्रस्तावित मद/क्रियाकलाप का संरक्षण, प्रबंधन, प्रमाणिकता और अखंडता भी महत्वपूर्ण होगा।

स्पष्टीकरण : 'मद' शब्द उस संस्थान को भी व्यक्त कर सकता है जो (क) में निर्धारित अवधि में विरासत और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहा हो।

(v) समिति द्वारा प्रस्ताव के विरासत मूल्य का एक बार निर्धारण किए जाने के बाद उसके द्वारा परियोजना की लागत निर्धारित की जाएगी।

(vii) 'हमारी धरोहर' के अधीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को आवेदन करते समय संगठन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने उसी मद या परियोजना के लिए किसी अन्य सरकारी संगठन से वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया है।

4. परियोजना की निदेर्शी सूची जिन पर योजना के अधीन विचार किया जा सकता है :

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विरासत के संरक्षण के लिए चुनिंदा हस्तक्षेप पर विचार करेगा और इसमें निम्नलिखित तरह की परियोजनाएँ आ सकती हैं–

(क) विरासत को प्रदर्शित करने और संरक्षण के लिए आईकोनिक प्रदर्शिनियों/नृत्य-कला सहित क्यूरेटिंग प्रदर्शिनियाँ।

(ख) कैलीग्राफी और संबंधित शिल्पों को सहायता देना।

(ग) साहित्य, दस्तावेज, पांडुलिपि आदि का संरक्षण।

(घ) मौखिक परंपराओं/कला विधाओं का प्रलेखन।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत को प्रदर्शित एवं संरक्षित करने हेतु 'एथनिक संग्रहालयों' (संस्कृति मंत्रालय अथवा इसकी निकायों की योजनाओं के अंतर्गत जिन्हें सहायता न मिली हो) के लिए सहायता देना।

(च) विरासत के संबंधित सेमीनारों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहायता।

(छ) विरासत के संरक्षण और विकास में अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति।

(ज) अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्द्धन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तियों/संस्थानों को अन्य कोई सहायता।

(झ) योजना के अधीन मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदत्त सभी परियोजनाएँ लागू होंगी, जनता के लिए खुली होंगी।

5. आवेदन के लिए प्रक्रिया का योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 9.1 के अनुसार अनुसरण किया जाएगा।

छात्रवृत्ति एवं सहायता देने वाली जैन संस्थाएँ

आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना :-

1. महावीर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश, अध्यक्ष- महेंद्र कुमार रांका
2. श्री दिगम्बर जैन संस्था तेलंगाना, हैदराबाद-500 001, तेलंगाना

उत्तर प्रदेश :-

3. शिखरचंद जैन सहायता फण्ड, खिरनी गेट, अलीगढ़ -202 002, उत्तर प्रदेश
4. अचल जैन सेवा ट्रस्ट, 32-भगवती देवी जैन मार्ग, सदर, आगरा-282 001, उत्तर प्रदेश
5. मैत्री समूह, द्वारा- श्री पी. एल. बैनाड़ा, 1/205- प्रोफेसर्स कॉलोनी, हरी पर्वत, आगरा-282 002, उत्तर प्रदेश, फोन- (0562) 2151127, टेलीफैक्स -(0562) 2642703, 98370-25087, 93581-52111 www.maitreesamooh.com, E-mail-p.lbenara@benara_phb.com, maitreesamooh@hotmail.com
6. पी.एन.सी.एजुकेशनल ट्रस्ट आगरा, डी-51, कमला नगर, आगरा-282 005, उत्तर प्रदेश, संपर्क- प्रदीप कुमार जैन, फोन- (0562) 4054400, 3268088, फैक्स-(0562) 2882925, मो.-98370-56653, E-mail- pkjain@pncinfratech.com
7. श्रद्धेय मातेश्वरी गुनमाला देवी दिगम्बर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीमती पुष्पलता महावीर प्रसाद जैन, खंदौली, आगरा-282 006, उत्तर प्रदेश, फोन- (0562) 2392271 (अंतिम तिथि-31 अगस्त)
8. तीर्थंकर आदिनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट, सी-1503 अपैक्स अकासिया वैली, सेक्टर-3, वैशाली गाजियाबाद -201 001, उत्तर प्रदेश
9. श्री पार्श्वनाथ सहायता कोष, संस्थापक- जंबूप्रसाद जैन, 2-सी - 201, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201 003, उत्तर प्रदेश, फोन- (0120) 2794988, 2792705, मो. 98101-80510
10. छात्रवृत्ति कोष, 99-मानसरोवर, सिविल लाइंस, मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश,
11. पारस शैक्षिक विकलांग मंदबुद्धि सहायतार्थ समिति, मेरठ, उत्तर प्रदेश, चेयरमैन-प्रभाषचंद जैन (महलकावाले), श्री जी एसोसिएट्स एवं श्रीजी हेल्थकेयर व फिजियोथैरिपी सेन्टर, एम. एच. 71, पल्लवपुरम, फेस-दूसरा, मेरठ, 201 001, उत्तर प्रदेश, मो. 098979-37305, 098979-35005
12. वीर छात्रवृत्ति कोष, न्यू शांति नगर, तीर्थंकर महावीर मार्ग, मेरठ सिटी-201 001, उत्तर प्रदेश (अंतिम तिथि- 30 सितम्बर)
13. भूषणस्वरूप मुकेश कुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रस्टी-भूषणस्वरूप जैन, 274/1, ज्योति, नई प्रेमपुरी, तीर्थंकर महावीर मार्ग, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश, फोन-(0121) 2510237, 3293633, 2400380, फैक्स-(0121) 4032503, मो. 94122-06737, E-mail. mukeshjainjwellers@gmail.com
14. विद्यासुख छात्रवृत्ति, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश, एस. के. जैन- प्रदीप जैन 94112-22666, 86500-00775, 86501-84146, फोन- (0121) 2439189, 2439188, 2439192, E- mail-info@vidya.edu.in

15. श्रावक निधि, उत्तर प्रदेश, द्वारा- श्री दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर, दुर्गावाड़ी, सदर, मेरठ कैंट-250 002, उत्तर प्रदेश
16. रतनचन्द जैन शास्त्री, 14-इंदिरा कॉलोनी, माला टॉकीज के पीछे, रामपुर-244 901, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड के दिगम्बर जैन छात्रों हेतु)
17. तीर्थंकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति उत्तर प्रदेश, महामंत्री-नलिनकांत जैन, ज्योति निकुंज, चार बाग, रोडवेज बस स्टेशन के पीछे, लखनऊ-226 004, उत्तर प्रदेश, फोन- (0522) 2451375, 2450085, 2452064, मो. 92360-62715
18. अमन चैरिटेबल ट्रस्ट, ए -377, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226 016, उत्तर प्रदेश, संपर्क- धर्मवीर जैन' फोन- (0522) 3204475, मो.- 93359- 10926, ट्रस्टी- पी.सी. जैन, सी- 1115, इंदिरा नगर, चर्च के सामने लखनऊ- 226 016, उत्तर प्रदेश, मो. 94522-92586, 93366-17281
19. वर्धमान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड) ललितपुर, 4-राबरपुरा, बड़े जैन मन्दिर के पास, ललितपुर- 284 403, उत्तर प्रदेश, फोन-(05176) 274491, मो. 93369-30290, 94154-56950, अध्यक्ष- अजय जैन, पूर्व प्राचार्य- श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश
20. श्री 108 आचार्य विद्यासागर साधर्मी न्यास फण्ड, श्री दिगम्बर जैन अटा मंदिर जी, सावरकर चौक ललितपुर-284 403, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष- डॉ. अक्षय टईया- 94155-89458, महामंत्री-एडवोकेट धन्य कुमार जैन-99191-66130 (शिक्षा, चिकित्सा, विवाह हेतु)

कर्नाटकः-

21. श्री बालचंद्र पी. कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट, 1-46, चन्द्रगुप्त भवन, स्टेशन बाजार, कोर्ट रोड, गुलबर्गा-585 102, कर्नाटक
22. श्री वी. एस. अजितराजै एवं श्रीमती जी.ए. सामिल ट्रस्ट, 143-थर्ड क्रॉस रोड, थर्ड ब्लॉक (ईस्ट), जया नगर, बेंगलुरु- 560 005, कर्नाटक
23. श्री चक्रेश्वरी महिला समाज, नं. 102, थर्ड ब्लॉक, आने बाण्डेय रोड, जया नगर, बेंगलुरु-560 011, कर्नाटक, संपर्क- एच.एस.मणिकराज (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)
24. श्री दक्षिण कन्नड़ मैत्रीकूट, शाम कम्पाउण्ड, ओल्ड टोल गेट, मुगडी रोड, बेंगलुरु-560 023, कर्नाटक
25. श्री दिगम्बर जैन महावीर संघ, दीवान खान लेन, चिक पेठ, बेंगलुरु -560 053, कर्नाटक
26. श्री ए. सी. नेमचन्दैया एजुकेशनल ट्रस्ट, नं. 438, 23वाँ क्रॉस रोड, दसवीं मेन रोड, बनाशंकरी सेकेण्ड ब्लॉक, बेंगलुरु -560 070, कर्नाटक
27. राजन फेलोशिप ट्रस्ट, 142- पाँचवाँ क्रॉस, राजमहल विलाश एक्सटेंशन, बेंगलुरु-560 085, कर्नाटक
28. पण्डितरत्न एम. शांतिराज शास्त्री ट्रस्ट, 'शांतिदूत' 369, 42वाँ क्रॉस, जया नगर, आठवाँ ब्लॉक, बेंगलुरु-560 082, कर्नाटक (अंतिम तिथि - 31 अगस्त)
29. बनाशनारी जैन समाज, 'ओंकारा', 240, दूसरा डी-क्रॉस, फर्स्ट फेज, गिरि नगर, बेंगलुरु-560 085' कर्नाटक
30. श्री गोमटेश्वर एजुकेशन सोसायटी, चन्द्रगुप्त रोड, मैसूर-570 001, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी-श्री सी.बी.एम. चन्द्रराया
31. श्री महावीर एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कॉलरशिप सेक्शन, हासन-573 201, कर्नाटक (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)

32. जैन युवक मण्डल (ट्रस्ट), महावीर भवन, प्लॉट नं. 55, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 15 सितम्बर)

33. भोमाज प्रतिष्ठान, खिद्रपुर ऑफिस, प्लाट नं. 72, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 31 जुलाई)

34. भीमराव बालाजी अँगड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, 'पितृ छाया' कॉमर्स कॉलेज के सामने, विद्या नगर, हुबली-580 021, कर्नाटक

35. श्रीमती नीरजा अनेकार मेमोरियल ट्रस्ट, महावीर निलय, करैयागी गल्ली, ओल्ड हुबली-580 024, कर्नाटक (अंतिम तिथि-20 अगस्त)

गुजरातः-

36. गुजराती दिगम्बर जैन महासभा, अहमदाबाद, गुजरात, सम्पर्क- अशोक भाई मेहता, मुम्बई- मो. 98216-05466, 70455-22206, योगेश भाई, अहमदाबाद- मो. 98254-43170

37. श्री विराग फाउंडेशन-गुजरात, एफ-1, मेम नगर कॉम्पलेक्स, आई.ओ.सी. पेट्रोल पंप के सामने, अहमदाबाद-380 001, गुजरात, प्रांतीय संयोजक-राकेश भाई गाँधी- मो. 98259-00124, अध्यक्ष-अरुण कोटड़िया

38 (i) इण्टरनेशनल अलुम्नी एसोसिएशन ऑफ श्री महावीर विद्यालय ट्रस्ट, 11/3 पुनीत नगर, 3-सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद-380 015, गुजरात, फोन- (079) 26754470, (ii) International Alumni Association of Mahavir Jain Vidyalaya, 17323-NW Gold Canyon Lane, Beaverton OR 97006, Phone-503-891-1588,wwwjaamjv.org, E-mail-Jiten.vora@gmail.com

39. डॉ. शेखरचंद्र जैन, 25-शिरोमणि बंगलोज, बड़ोदरा एक्सप्रेस हाइवे के सामने, सी.टी.एम. चार रास्ता के पास, हाइवे, अहमदाबाद-380 026, गुजरात, फोन-(079) 5850744, www.samanvaykendra.org, E-mail-drspjain@yahoo.com, info@samanvaykendra.org

40. श्री विघ्नहर विद्यासागर स्कॉलरशिप ट्रस्ट, बी-1, सी-1, सोमनाथ महादेव सोसायटी, लोकभारती स्कूल के सामने, सरगम शॉपिंग सेंटर, पार्ले प्वांइट, सूरत-395 001, गुजरात, संपर्क- (i) आशीष जैन, फोन- (0261) 2211776 (नि.) 2226098, 2891092 से 96 तक, फैक्स- (0261) 2891097 (का.), मो. 98258-00046, 98258-00021, (ii) कमलेश गाँधी, 4-सी प्रस्थापना, प्रतिष्ठा कॉम्पलेक्स, एक्सपेरीमेण्टल स्कूल के पास, भगवान चन्द्रप्रभ मार्ग, पार्ले प्वाइंट, सूरत-395 001, गुजरात, मो-93777-81008

41. राजेन्द्र नाथूलाल जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, 103-104, जलाराम टेरेस, कड़ीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड सूरत-395 003, गुजरात, फोन- (0261) 2470580, 2224117

छत्तीसगढ़ :-

42. जैन जागरण, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, संपर्क- श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, अध्यक्ष तिलोकचन्द बरडिया-93024-26100, ट्रस्टी- तिलोकचन्द भंसाली-94242-00039, मोतीलाल झावक-95735-93000, प्रकाशचन्द सुराना-98931-19000, जयकुमार बैद- 94255-02512

झारखंडः-

43. श्रीमती पुष्पादेवी जैन स्कॉलरशिप फण्ड, पूज्य तपस्वी श्री जगजीवनजी महाराज चक्षु चिकित्सालय, पेटरबार-829 121, बोकारो, झारखंड, फोन- (06549) 265609, 265653, फैक्स- (065749), 265718 मो. 94313-64768, 99391-64469

तमिलनाडु :-

44. जैन्स इण्डिया ट्रस्ट, नं. 11, पोन्नप्पा लेन, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई- 600 005, तमिलनाडु (केवल तमिलनाडु के छात्रों हेतु)

45. प्रतापमल हरकचन्द भंडारी करुणा इंटरनेशनल एजुकेशन फांउडेशन चेन्नई, तमिलनाडु, मेसर्स-टाटिया केमिकल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 18-रिथेडन रोड, वेपेरी, चेन्नई- 600 007, तमिलनाडु, प्रवीण टाटिया- मो- 98400-95050, करुणा इंटरनेशनल-(044) 25231714, 25231724

46. गजेन्द्र निधि आचार्य श्री हस्ती स्कॉलरशिप फण्ड, संपर्क-अशोक कवाड़, पृथ्वी एक्सचेंज, 33-मोंटीथ रोड, एग्मोर, चेन्नई- 600 008, तमिलनाडु, टेलीफैक्स- (044) 43434249,मो. 93810-41097

47. सरिता फाउण्डेशन स्कॉलरशिप ट्रस्ट, श्रीमती सरिता महेन्द्र कुमार जैन, एशिया (चेन्नई) इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एस.पी.-23-ए, डेल्लब्ड प्लॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी (Guindy), चेन्नई-600 032, तमिलनाडु, फोन- (044) 22255457 2225505, E-mail- aecchn@airtelmail.in, info.chennai@asiaengy.com sarita@quibusresources.com निवास-नं. 3, थर्ड स्ट्रीट, वॉलेस गॉर्डन, नुगम्बक्कम्, चेन्नई 600 006, तमिलनाडु मो. 98410-29845, ब्रांच ऑफिस-10-3-152, ईस्ट मेरेडपल्ली, सिकन्दराबाद.500 026, आन्ध्र प्रदेश, फोन-(0140) 27730519, फैक्स- (0140) 27732087

48. आचार्य हस्ती मेधावी छात्रवृत्ति योजना, गजेन्द्र निधि हस्ती स्कॉलरशिप फण्ड, बी. बुधमल बोहरा, नं. ईरुल्लप्पन स्ट्रीट, साहूकार पेठ, चेन्नई-600 079, तमिलनाडु, फोन-(044) 42728476, मो. 94442-35065

दिल्लीः-

49. अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस (दिल्ली), जीवन प्रकाश योजना, जैन भवन, 12-शहीद जीतसिंह मार्ग, दिल्ली-110 001, फोन- (011) 23363729, 23365420, फैक्स- (011) 23344380, www.jainconference.org, E-mail- aissjc1906@gmail.com (वेबसाइट पर फार्म भरकर भेजना अनिवार्य), जीवन प्रकाश योजना अध्यक्ष- संजय बोथरा-93265-96781, 98225-96781, मंत्री- लादूलाल बाफना- 98338-66852

50. श्री गणेश वर्णी अहिंसा प्रतिष्ठान, ट्रस्ट, द्वारा-सीताराम फिरोजीलाल जैन प्राइवेट लिमिटेड, कटरा वडीयान , दिल्ली-110 001

51. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद, श्याम भवन, फ्लैट नं. 10, प्रथम मंजिल, 3611-नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली- 100 002, फोन-(011) 23253297, फैक्स-(011)23260754, E-mail.-abdjparishad@gmail.com

52. अहिंसा इंटरनेशनल, जीवन विला, 111-दरियागंज, नई दिल्ली-110 002, सेक्रेटरी जनरल-ए.के.जैन (सेवानिवृत्त-आई.आर.एस.), मो. 93124-01353

53. आचार्य शान्तिसागर स्कॉलरशिप फण्ड, श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन श्रुतसंवर्धिनी महासभा, 5-राजा बाजार, खंडेलवाल जैन मंदिर कॉम्पलेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 002, फोन-(011) 23344668, 23344669, मो. 93129-62937, www.jaingazetteweekly.com, E-mail-digjainmahasabha@gmail.com, dmahasabha@yahoo.com, jain_gazette@yahoo.in
54. तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, उड़ान स्कॉलरशिप, 210-अणुव्रत भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, अध्यक्ष-सलिल लोढ़ा (सी.ए.) मो.- 98201-49302, महासचिव-पंकज ओस्तवाल- मो.- 94141-12572, 98311-44129, www.pf.org.in, E-mail-terapanthprofessionaloffice@gmail.com, tpfoffice@tpf.org.in
55. दिगम्बर जैन महासमिति, शिक्षा सहयोग योजना, श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर, शिवाजी स्टेडियम के पीछे, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 002, फोन- (011) 23742102, E-mail-info@djmahasamiti.org
56. भारतवर्षीय जैन अनाथरक्षक सोसायटी, दरियागंज, नई दिल्ली. 110 002, फोन - (011) 23285676, 65297620
57. श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महिला महासभा-दिल्ली प्रदेश, 5-राजा बाजार, श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर कॉम्पलेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 002 (दिगम्बर जैन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, जैन विधवा महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा एवं विवाह हेतु अनुदान)
58. श्वेताम्बर तेरापंथ महासभा, मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना, अखिल भारतीय अणुव्रत भवन, प्रथम तल, 210-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, फोन- (011) 46605504, 23233345, 23234641, 23238380, 23210593 फैक्स- (011)23239963, E-mail-anuvrat_mahasamiti@yahoo.com हरीशचंद्र जैन सचिव- 99999-81521, 98733-5563
59. साहु जैन ट्रस्ट, टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, 7- बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, www.sahujaintrust.timesofindia.com, E-mail-bjnanpith@gmail.com, (टेक्नीकल विषयों हेतु) (अंतिम तिथि-30 जुलाई) संपर्क-सोमचंद्र जैन (सचिव)
60. जैन्स इण्डिया ट्रस्ट, 6/36, डब्ल्यू, ई, ओ, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005, फोन-(011) 25748882
61. रामदयाल रघुवरदयाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, जैन भवन, छप्परवाला कुआँ, करोल बाग, नई दिल्ली.110 005
62. श्री खण्डेलवाल जैन समाज, 14-रानी झांसी रोड, दिल्ली-110 005, डूँगरमल गंगावाल-मो. 98105-57733 गजेन्द्र बज 98103-08841
63. गिरधारीलाल प्यारेलाल एजुकेशन फण्ड, 34- चाँदनी चौक, दिल्ली-110 006
64. जयमाला देवी धर्मार्थ ट्रस्ट, 1734-दरीबां कला, नई दिल्ली- 110 006
65. वथीराम वोरीदेवी जैन धर्मार्थ ट्रस्ट, 5806-सदर बाजार, दिल्ली-110 006
66. श्री महावीरप्रसाद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा-अजितप्रसाद जैन एण्ड संस, 5268-69, श्रद्धानंद मार्ग, दिल्ली-110 006 (अंतिम तिथि- 15 जून)
67. श्री सुराणा विश्व बंधुत्व ट्रस्ट, 1690-चाँदनी चौक, दिल्ली -110 006
68. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन तरुण परिषद, आर-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली.110 016, अध्यक्ष-मनोज जैन, एफ-236, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092, महासचिव-

जे. 88, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092 (पितृविहीन, दिव्यांग, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, स्कूल बैग, स्टेशनरी प्रदाता)

69. वर्धमान फाउण्डेशन, सी-14, ऊषा निकेतन, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110 016, प्रधान ट्रस्टी-राजेन्द्र प्रसाद जैन, फोन-(011) 26561188, 26864402, मो. 098671-66466
70. सचिव-स्कॉलरशिप, जैन सोशियल वेलफेयर एसोसिएशन, एफ-22 ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016
71. इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, डी-28,पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017, चेयरमैन-डॉ. शुगनचंद जैन, मो. 98181-39000, 99718-03636, फोन- (011) 40793387, www.isjs.in, E-mail-svana@vsnl.com, isjs_india@yahoo.co.in, shuganjain1941@gmail.com, संपर्क -सुशील जाना- 99112-22593
72. महावीर चैरिटेबल सोसायटी दिल्ली, जैन मंच शाखा, शिवाजी पार्क, दिल्ली-110 027
73. बैरिस्टर चम्पतराय जैन ट्रस्ट, जैन मित्र मण्डल, धर्मुपरा, गाँधी नगर, दिल्ली-110 031
74. जैन छात्रवृत्ति फण्ड, विजय गुप्त रोड, नई दिल्ली-110 033
75. ज्ञानोदय चैरिटेबल सोसायटी, 572- एशियाड विलेज, नई दिल्ली- 110 049, फोन- (011) 26493538, 26492386, मो. 98114-49431 (जैन बच्चों के लिये सेकेण्डरी स्कूली शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता)
76. आर.के.पुरम् पब्लिक चैरिटेबल सोसायटी जैन समाज, सचिव-राजेश जैन, सैनिक फार्म, नई दिल्ली, मो. 098110-71221, संयोजक- महावीर प्रसाद जैन, 126- मुनीरका विहार, नई दिल्ली-110 067, मो. 99103-84885 (कन्या विवाह, बच्चों की पढ़ाई, असहाय वरिष्ठ नागरिक, विधवा, गरीब बच्चों, दिव्यांगों की शिक्षा एवं सहायता हेतु)
77. तरुण मित्र परिषद, एफ-236, मंगल बाजार, लक्ष्मीपुर, दिल्ली-110 092, महासचिव- अशोक जैन (साधनहीन, पितृविहीन व दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री वितरण हेतु)
78. श्रीमती आनंदमती जैन स्मृति पारमार्थिक न्यास चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली, द्वारा- अनिल कुमार जैन कागजी, श्री दिगम्बर जैन कमल मंदिर, डी-107, प्रीत विहार, दिल्ली-110 092, फोन- (011) 22420695, मो.- 98103-89697
79. श्री सेवाराम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली, अध्यक्ष- श्रीमती ऊषा जैन, बी-54, प्रथम तल, 3-ईस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110 093, मो. 98105-37304, सचिव निर्मल कुमार कासलीवाल, वात्सल्य भवन, जैन मंदिर मार्ग, सांगानेर-302 029, जयपुर, राजस्थान (सीनियर हायर सेकेण्डरी तक के छात्रों हेतु, अंतिम तिथि - 15 जुलाई)

पंजाब :-

80. वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल, चंडीगढ़ रोड, जमालपुर- 141 011, लुधियाना, पंजाब

पश्चिम बंगाल:-

81. बैजनाथ सरावगी स्मृति निधि, जैन हाउस, 8/1- एस्प्लेनेड (पूर्व), कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल, ट्रस्टी- निर्मल कुमार सरावगी
82. श्री लार्ड महावीर फाउंडेशन, 10-प्रिंसेप स्ट्रीट, दूसरा तल्ला, कोलकाता-700 072, पश्चिम बंगाल, फोन- (033) 22256851, 40022880, E-mail-info@arrission.in

मध्य प्रदेश:-

83. चौधरी लखमीचन्द श्रीमतीबाई पारमार्थिक ट्रस्ट, चौधरी ट्रैक्टर्स, इंदिरा पार्क, अशोक नगर- 473 331, मध्य प्रदेश, सम्पर्क- रमेश चौधरी- मो. 94251-32055

84. चन्दनमल चोरडिया, फ्लैट नं. 102, पुष्परत्न श्रीपति बिल्डिंग, दिलपसंद टॉवर के पीछे, दिलपसन्द कॉलोनी , रेसकोर्स रोड, **इंदौर**- 452 001, मध्य प्रदेश (आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर की रिपेयरिंग, नया बनवाना, आर्थिक मदद देना)
85. महावीर शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, महावीर ट्रस्ट, 63-महात्मा गाँधी मार्ग, तुकोगंज मेन रोड, **इंदौर**- 452 001, मध्य प्रदेश, फोन (0731)2527483, E-mail-mahaveertrust@rediffmail.com
86. श्री दिगम्बर जैन असहाय विधवा सहायता फण्ड जँवरीबाग, नसिया, इंदौर-452 001, मध्य प्रदेश (सन् 1908 में स्थापित)
87. श्री दिगम्बर जैन बजाजखाना सुकृत फण्ड, 21- साठा बाजार, इंदौर-452 002, मध्य प्रदेश
88. श्री जैन सेवा समिति, 52- भगवान महावीर मार्ग (उपाश्रय), इंदौर-452 002, मध्य प्रदेश ' संपर्क- वीरेंद्र नागदा
89. श्रीमती सरस्वती देवी जैन छात्रवृत्ति, मेसर्स - ट्रेड अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड, 49-50, रेडीमेड काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, **इंदौर**- 452 003, मध्य प्रदेश, फोन-(0731) 4703400, गौरव डोसी- मो. 78699-12855, रमेश कासलीवाल- मो.- 94259-05735, अध्यक्ष-एस.के.जैन, सचिव- डॉ. अनुपम जैन- मो. 94250-53822
90. अल्पसंख्यक वर्ग कोचिंग, कोठारी इंस्टीट्यूट, राजवाड़ा, इंदौर- 452 007, मध्य प्रदेश
91. जैन सोसायटी फॉर डेवलपमेण्ट ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन इंदौर, द्वारा -डॉ० अनुपम जैन, निवास-डी-14, सुदामा नगर, इंदौर-452 009, मध्य प्रदेश, कार्यालय- कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, 584-एम.जी.रोड, तुकोगंज, इंदौर-452 001, मध्य प्रदेश, फोन- (0731) 2545421 (का.), 2797790 (नि.), मो. 94250-53822, E-mail - anupamjain3@rediffmail.com, संस्थापक- राजीव जैन, अमेरिका, सुपुत्र-एस.के.जैन, प्रेसिडेण्ट-इण्डोरामा, श्रीमती चित्रा जैन
92. शान्तिकिशन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट 34-विला पर्ल, भूमि एन्क्लेव, सिल्वर स्प्रिंग फेस-1 ए. बी. रोड बाईपास, इंदौर- 452 010, मध्य प्रदेश, संपर्क- जितेंद्र कोठारी, नीतू कोठारी
93. 'ज्ञानम्' योजना, द्वारा- अजीत मूथा, सम्पादक-जैन जयति शासनम् , जी-1 गोमटेश अपार्टमेण्ट्स, 17-महावीर नगर, कनाडिया रोड, इंदौर-452 018, मध्य प्रदेश, फोन-(0731) 3253142, मो. 94254-80166, 95758-72652, E-mail-ajitmutha01@yahoo.com
94. बहादुरलाल अमृतलाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबूलाल अमृतलाल जैन हॉस्टल, 15-कंचन बाग, इंदौर-452 077, मध्य प्रदेश, फोन (0731) 2526613, 2526612, 2510075, www.bljaincharitabletrust.org, पंजीकृत कार्यालय-ए- 52, सिल्वर अपार्टमेन्ट्स शंकर थाने का मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028, महाराष्ट्र
95. श्री देव पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर ट्रस्ट, संपर्क धमेंद्र सेठ, श्रीमन्त भवन, नानक वार्ड, खुरई-470 117, सागर, मध्य प्रदेश, मो. 98268-21702
96. जांगड़ा पोरवाड़ असहाय सहायक फण्ड, खण्डवा- 450 001 मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-देवेन्द्र भाई विमलचन्द सर्राफ, संपर्क- श्रीमती सुरेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, फोन-0731- 2103433
97. श्रीमती त्रिवेणी लखमीचंद जैन स्मृति सेवा न्यास, देवरी कलाँ-470 226, सागर, मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-प्रमोद जैन (कोयला वाले), बिलासपुर, छत्तीसगढ़- मो. 94252-20709, 96304-30000, संचालक-अकलेश जैन, देवरी कलाँ, मो. 93012-32070, 78695-63108

98. राष्ट्रीय दिगम्बर जैन युवा महासंघ, 595-दीप टॉवर, महाकौशल स्कूल के पीछे, कछियाना चौक, जबलपुर-482 002, मध्य प्रदेश, पंकज जैन (एम.डी.)- मो. 94249-25917, पवन जैन (एल.आई.सी.)-942515843, राजा जैन (अरविन्द)-मो. 94246-00008

99. प्रमोद शास्त्री स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट, बड़ा मलहरा -471311, छतरपुर,मध्य प्रदेश, संपर्क- पं. जिनेन्द्र सिंघई, पं. खुशालचन्द जैन, मो. 94240-85695, 98892-97968 (कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों हेतु)

100. श्री स्व. सिंघेन रुक्मणिबाई छात्रवृत्ति फण्ड, इटावा, बीना-470 113, सागर, मध्य प्रदेश, संपर्क- रोजश सिंघई- 98934-81016

101. श्री महावीरप्रसाद कंचनलता पहाड़िया, महावीरप्रसाद दिलीप कुमार ट्रस्ट, बुरहानपुर-450 335,मध्य प्रदेश

102. श्री दिगम्बर जैन छात्रवृत्ति फण्ड, अध्यक्ष-डॉ. सुरेन्द्र कुमार, एल-65 न्यू इंदिरा नगर, बुरहानपुर-450 331, मध्य प्रदेश, मो. 98265-65737, सचिव-पं. पवन कुमार जैन 'दीवान' श्री महावीर भवन, दत्तपुरा, मुरैना, 476 001 मध्य प्रदेश, मो.- 94253-64534

103. सेठ गुलाबचन्द विजयकुमार चौधरी छात्रवृत्ति एवं सहायता ट्रस्ट, ई-2/144, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल- 462 016, मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-एडवोकेट विजय चौधरी, फोन-(0755) 2464415, मो. 98260-56441 E-mail-choudharyadvocates@gmail.com

104. ज्ञानोदय विद्यापीठ, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वल्लभ नगर, बीएचईएल, भोपाल-462 021, मध्य प्रदेश, फोन- (0755) 26217181, फैक्स-0755-2621723, मो. 94253-72634, 94243-22999, E-mail-vimbhopal@rediffmail.com

105. मातेश्वरी साकरबाई जैन छात्रवृत्ति फण्ड, माधवगंज, विदिशा -464 011, मध्य प्रदेश, संपर्क- संजय सेठ- 93290-80835 (पी-एच. डी. शोध उपाधि हेतु)

106. भगवानदास शोभालाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, चमेली चौक, सागर-470 002, मध्य प्रदेश, फोन-(07582) 268049, 268017, 268002, 268006, 268020, 268060, फैक्स-(07582) 268060, E-mail-sagarmp@hotmail.com

107. विद्यासागर विद्यानिधि, संतोष जय सन्दर्भ कॉम्पलेक्स, कटरा बाजार, सागर-470 002, मध्य प्रदेश, फोन (07582) 243755, 221736, 222075, 244475, संतोष जैन बैटरी वाले- 94258-90921, मंत्री- हीरालाल जैन- 98932-87628

महाराष्ट्र :-

108. दिगम्बर जैन धाकड़ महामण्डल, गोरखसन रोड, सहकार नगर, अकोला- 444 002, महाराष्ट्र

109. भारत चैरिटेबल ट्रस्ट, जे-78, एम. आई. डी. सी., कुपवाड़- 416 436 सांगली, महाराष्ट्र, संपर्क- महावीर पाटील/संतोष पाटील- 85549-91377, 85549-91454, फोन-(075) 881-71050, www.becmpl.com/trust Email-bharat.charity@becmpl.com

110. श्री तवनप्पा अप्पाराव पाटने ट्रस्ट, साहूपुरी, कोल्हापुर-416 012, महाराष्ट्र

111. डॉ. भरमू एम. चौगुले चैरिटेबल ट्रस्ट, रो. हाउस नं. 18 वसन्त विहार, पोखरण रोड नं. 2 ठाणे (पश्चिम)-400 601, महाराष्ट्र, फोन-(022) 21710718

112. ओसवाल शिक्षण संस्था, सुराणा चैम्बर, सदर, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

113. आनन्द प्रतिष्ठान, सेवन लब्स के सामने, शंकर सेठ रोड, पूना-411 002, महाराष्ट्र

114. गौतम लब्धि फाउंडेशन,नगर रोड, पूना-411 004, महाराष्ट्र, मो. 98220-02459, 98905-44566
115. लीला पूनावाला फाउंडेशन, फिला विला, 101/102, सर्वे नं. 23, बालेवाड़ी, डी. मार्ट के पास, बनेर, पूना-411 004 महाराष्ट्र, फोन- (020) 27224264, 27224265, E-mail-kalyan@lilapoonawalafoundation.com (केवल लड़कियों के लिए)
116. श्री जिनकुशल सेवा मण्डल, 384-नवी पेठ, अमर अपार्टमेंट्स विट्ठल मंदिर के पास, पूना-411 004, महाराष्ट्र (कक्षा 1 से 10वीं तक, पूना वालों के लिए), मो. 94220-85860, 94220-10008
117. सन्मति तीर्थ, फिरोदिया हॉस्टल, 844- शिवाजी नगर, बी.एम.सी. रोड, पूना-411 004, महाराष्ट्र (केवल प्राकृत भाषा के लिए)
118. अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटना, एफ.सी.रोड, शिवाजी नगर, पूना- 411 005, महाराष्ट्र
119. श्री जीवप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट, बी-4 पद्मवन सोसायटी, जगताप डेयरी के सामने, मॉडल कॉलोनी, पुणे-411 016, महाराष्ट्र, संपर्क- श्रीमती सुचेता आदेश शहा, 42-ए, 51- स्मिता बंगला, श्राविकाश्रम मार्ग, बुधवार पेठ, सोलापुर-413 002, महाराष्ट्र, फोन- (020)25653072
120. श्रीमती वसन्तीबाई पानाचन्द्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, 815- सिंध को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आंध्र, पूना-411 007, महाराष्ट्र
121. श्री पोपटलाल मानिकचंद शाह, मेसर्स-पी.वी. ब्रदर्स, 'वृन्दावन', 7-ए अत्तरेया को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, गोखले नगर रोड, 964-ए, शिवाजी नगर, पूना-411 016, महाराष्ट्र (अंतिम तिथि- 30 अगस्त)
122. विमल मुनोत फाउंडेशन, द्वारा-हरनेक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 112, सेक्टर नं. 10, M.I.D.C भोसरी, पूना-411 026, महाराष्ट्र, फोन- (020) 66120270, मो. 96570-1884
123. एच.एस. कब्बूर एजुकेशन ट्रस्ट, 3-अमृत केशव नायर मार्ग, न्यू एम्पायर सिनेमा के बाद, फोर्ट, मुम्बई-400 001, महाराष्ट्र
124. श्री जैन केलवाड़ी मण्डल, 14-मर्जबन रोड, मुम्बई-400 001, महाराष्ट्र
125. अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन कांफ्रेंस मुम्बई, गोडीजी बिल्डिंग, दूसरा माला, त्रिभुवन बिल्डिंग-1, विजय वल्लभ चौक, 221-ए गुलालवाड़ी, पायधुनी, मुम्बई-400 002, महाराष्ट्र, फोन- (022) 23713273
126. गाँधी नाथारंगजी दिगम्बर जैनोन्नति, फण्ड, 80-बी, तीसरी मंजिल, पर्व चाल, झवेरी बाजार, मुम्बई- 400 002, महाराष्ट्र
127. वर्धमान जैन सेवा संघ, 21-गोदी जी की चाल, मुम्बई-400 002 महाराष्ट्र
128. एस.पी.जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, 533-कान्ता टैरेस कालवादेवी रोड, मुम्बई-400 002, महाराष्ट्र, फोन-(022) 22018848, 22018433, E-mail-bba@s.p.jain.org, संपर्क- रुचि भरूचा
129. श्री विजय केशव सूरि स्मारक स्कॉलरशिप ट्रस्ट फण्ड, कान्तिलाल नगीनदास झवेरी, 44/46-धनजी स्ट्रीट, मुम्बई- 400 003, महाराष्ट्र
130. जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, हीराबाग, मुम्बई- 400 004, महाराष्ट्र
131. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 170-कान्दीवली, मुम्बई-400 004, महाराष्ट्र
132. श्री मोहनलाल चन्द्रवती जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, अध्यक्ष- श्री आर. के. जैन, 7/41, सातवीं मंजिल, सुनीता अपार्टमेंट्स, सोनिया इंटरनेशनल, मेकर टॉवर के सामने, कफ परेड, मुम्बई-400 005, महाराष्ट्र, मो. 93230-03006, 99563-21008

133. श्री हीराचन्द्र गुमानजी जैन बोर्डिंग स्कूल ट्रस्ट, 148-लेमिंग्टन रोड, तारदेव ब्रिज के पास, मुम्बई-400 007, महाराष्ट्र (अंतिम तिथि-30 जून)
134. श्री अमीचन्द डालूचन्द शाह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डालूचन्द निवास, सर भालचन्द्र रोड, माटुंगा (सेंट्रल रेलवे), मुम्बई 400 019, महाराष्ट्र
135. सूरजमल श्रीमल मेमोरियल ट्रस्ट, 4-एफ-2 (ए), कोर्ट चैम्बर्स, 35-न्यू मैरीन लाइन्स, मुम्बई-400 020, महाराष्ट्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)
136. रवीन्द्र पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट,303/304.अरिंजय चैम्बर, नरीमन प्वाइण्ट, मुम्बई- 400 023, महाराष्ट्र
137. श्रीमती बाई कलत्रे चैरिटेबल ट्रस्ट, 6-जिजामाता को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, शिव सृष्टि, कुर्ला (ईस्ट), मुम्बई-400 024, महाराष्ट्र, अंतिम तिथि- (31 जुलाई- अंडर ग्रेजुएट के लिए)
138. श्री महावीर जैन विद्यालय, 50/54-ए अगस्त क्रान्ति मार्ग, गुवालिया टेंक, मुम्बई-400 026, महाराष्ट्र,फोन- (022) 23759179, 23759399, www.smjv.org (अंतिम तिथि- 30 सितम्बर)
139. वालचन्द्र हीराचन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट, कंस्ट्रक्शन हाउस, बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई-400 038, महाराष्ट्र
140. श्री वीर राघव जी गाँधी स्कॉलरशिप (शिष्यवृत्ति), द्वारा-प्रवीण हिम्मतलाल संघवी, ए-1 सरदार पटेल सोसायटी, नेहरू रोड, विले पार्ले (पूर्व) मुम्बई-400 057, महाराष्ट्र, www.jaina.org/vrgcommittee, E-mail-Ihsanghavi@yahoo.com /मो.93242-42324, अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र- डॉ. दिनेश दलाल, फोन- (022) 25127673, मो. 93240-27673, निरंजन शाह- (022) 22811660, मो. 98204-08634, हिंतलाल गाँधी-93233-31493, डॉ. विपिन भाई दोशी- 98210-52413, पंकज चांदमल-98202-49041
141. अखिल भारतवर्षीय सैतवाल दिगम्बर जैन परिषद (रजिस्टर्ड), 2- उमैया भवन को - ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400 080, महाराष्ट्र, फोन-(020) 25680589, मो. -92244-45769
142. जैन समगणण माहिती केन्द्र, सी/ओ-झालावाड़ जैन श्वेताम्बर मूर्तिमंडल, के-2, ग्राउंड फ्लोर, मंगल कुंज, संभवनाथ देरासर के सामने, जीमली गली, बीरीबली (पश्चिम), मुंबई-400 092, महाराष्ट्र, संपर्क- हरेशभाई बारभाया- मो. 98330-39518, (कुँवारे, दिव्यांग, तलाकशुदा जैन युवक-युवितयों की सहायतार्थ)
143. सेठ केवलचंद धनजीभाई चैरिटेबल ट्रस्ट, म्हसवड़-425 432, सतारा, महाराष्ट्र, संस्थापक- बा. ब्र. डॉ. कंकूबाई केवलचन्द शाह
144. सौ. नवलबाई केवलचंद चैरिटेबल ट्रस्ट, म्हसवड़-425 432, सतारा महाराष्ट्र, संस्थापक-बा. ब्र. डॉ. कंकूबाई केवलचन्द शाह
145. जय अनन्त स्कॉलरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा- सुनीता संजय शाह, गुंजन एण्टरप्राइजेज, अमोलिक बंगला, अजिंक्य कॉलोनी के सामने,सतारा -415 001, महाराष्ट्र, मो. 98230-07274 (महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु)
146. जीवन मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट, रत्नत्रय फेब्रीकेटर्स, धामनी रोड, सांगली-416 416, महाराष्ट्र, संपर्क-सुनील पाटील, मो. 94224-10234
147. दक्षिण भारत जैन सभा 37- महावीर नगर, सांगली- 416 416, महाराष्ट्र, फोन नं (0233) 2623603 (उच्च शिक्षा हेतु अंतिम तिथि-31, अगस्त जैन धर्म परीक्षा आवश्यक, मुख्यतः आन्ध्रपदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, तेलगांना, एवं महाराष्ट्र के जैन विद्यार्थियों के लिये)

148. श्री बापू साहेब बी. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, महावीर नगर, सांगली-416 416, महाराष्ट्र

149. सेक्रेटरी-पदवीधर संघटना, द्वारा सेठ रा.ध. दावडा जैन बोर्डिंग, 37- महावीर नगर, सांगली-416 416, महाराष्ट्र, फोन- (0233) 2625704

150. गाँधी नाथरंगजी दिगम्बर जैन बोर्डिंग, बालीब्स, सोलापुर-413 002, महाराष्ट्र

राजस्थानः-

151. श्रमण स्वर चित्र प्रकाशन, अकोला-312 205, चित्तौड़गढ़, राजस्थान

152. श्री जिनदत्तसूरि मंडल, दादावाड़ी, अजमेर-305 001, राजस्थान, मानद मंत्री-महेंद्र पारख, फोन (0145) 2623332, 2620357 (श्वेताम्बर जैन विद्यार्थियों को ऋण, छात्रवृत्ति, विधवा, तलाकशुदा व असहायों की सहायतार्थ)

153. अखिल भारतीय जैन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, 38-पार्श्वनाथ कॉलोनी, आंतेड, वैशाली नगर, अजमेर-305 006, राजस्थान, टेलीफैक्स- (0145) 2425003, मो. 94143-09698, आयोजन सचिव- कैलाश गदिया

154. ओजस्वी, अध्यक्ष- दर्शन बाफना, 15-एलआईजी कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर-305 006, राजस्थान, फोन-(0145) 2622902 (गरीबी रेखा से नीचे या अभावग्रस्त जैन प्रतिभाशाली छात्रों की अजमेर में शिक्षा सहायतार्थ)

155. महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प, गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर, राजस्थान, प्रबंध ट्रस्टी- नरेश मेहता

156. आचार्य श्री शांतिसागर छात्रवृत्ति योजना, दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन (राजस्थान रीजन) जयपुर-302 001, राजस्थान, संपर्क- सुरेश जैन (बांदीकुई)- मो. 94144-56885, राजेन्द्र बाकलीबाल- मो. 94144-3779, नवीन जैन- मो. 93145-20323, राजेन्द्र बड़जात्या- मो. 97850-74581, सुरेन्द्र पाटनी- मो. 98285-58576 (केवल राजस्थान के स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु)

157. श्री दिगम्बर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मलजी छोगालाल, एम.आई.रोड, जयपुर- 302 001, राजस्थान

158. विधवा स्त्री एवं अनाथ बच्चा सहायता फण्ड ट्रस्ट, ठिकाना बख्शी भागचन्द्र, जयपुर, राजस्थान, कार्यालय- अशोक कुमार सुनील कमार बख्शी, 175- बख्शीजी का चौक, रामगंज बाजार, जयपुर, 302 003, राजस्थान, फोन- (0141)561696, 56438188 (विधवा स्त्री मासिक सहायता, असहाय बच्चों की शिक्षा, स्कूल फीस एवं चिकित्सा सहायतार्थ)

159. श्रीमहावीर जी छात्रवृत्ति फण्ड, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर-302 003, राजस्थान, फोन-(0141) 2385247

160. सेठी बंजीलाल ठेलिया चैरिटी ट्रस्ट, बंजी हाउस, घीवालों का रास्ता, जयपुर- 302 003, राजस्थान, फोन- (0141)2564932, 2564882, मो. 93515-67490

161. जैन संस्कृति रक्षा मंच, सी-5 चिकित्सालय मार्ग, बापू नगर, जयपुर- 302 015, राजस्थान, महामंत्री-णमोकार जैन (सी.बी.एस.ई./आर.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.)

162. माँ सुपार्श्व गौरव शिक्षा प्रोत्साहन संस्थान जयपुर, श्री दिगम्बर जैन मंदिर, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302 020, राजस्थान, मुख्य संयोजक- राजेंद्र बड़जात्या, www.aryikagauravmatimataji.com, अखिल भारतवर्षीय जैन युवा एकता संघ, 24/253, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 98292-08208, 89469-67398, www.jainyuvaaktasamaj.com, E-mail-jainyuvaaktasamaj.com

163. सन्तोक तारा जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री लाभचंद्र कोठारी, डी- 120, कृष्णा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, बापू नगर, जयपुर-302 025, राजस्थान, मो. 93140-03637 (श्वेताम्बर जैन 8वीं से उच्च कक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास करने वाले बच्चों हेतु)
164. गोठी चैरिटेबल ट्रस्ट,श्री लाभचंद्र कोठारी, डी- 120,कृष्णा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, बापू नगर, जयपुर- 300 025, राजस्थान, मो. 93140-03637 (श्वेताम्बर जैन विधवाओं, 1500 रुपया मासिक आयवाले कमजोर परिवार की सहातार्थ)
165. श्री अखिल भारतवर्षीय सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ, साधर्मी सहायता, सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर-342 001, राजस्थान, फोन- (0291) 2626145
166. अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, समता भवन, आचार्य श्री नानेश मार्ग, जैन पी. जी. कॉलेज के सामने, नोखा रोड, बीकानेर-334 001, राजस्थान, फोन- (0151) 3292177, 2544867, फैक्स- (0151) 2203150
167. श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति, बीकानेर-334 001, राजस्थान, संपर्क- श्रीमती प्रेमलता मंगलकुमार पिरोदिया, 108- चाँदनी चौक, रतलाम-475 001, मध्य प्रदेश, फोन- (07412)232227, अध्यक्ष-श्रीमती शोभादेवी बैद
168. लक्ष्मीदेवी बांठिया साधर्मी सहायता फण्ड, श्री घेवरचन्द्र बांठिया, ब्यावर-305 901, अजमेर, राजस्थान, फोन- (01462) 251216, 257699
169. रतनलाल कंवरलाल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा- आर. के. मार्बल प्रा. लि., मकराना रोड, मदनगंज-किशनगढ़- 305 801, अजमेर, राजस्थान, फोन (01463) 250501 से 250505 तक (का.) 250601 से 250610 तक (नि.) टेलीफैक्स- (01463) 250601, www.rkmarble.com, E-mail-info@rkmarble.com
170. ऋषभदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघीजी, जैन मंदिर रोड, सांगानेर-302 029, जयपुर, राजस्थान, फोन- (0141)2730390, 3227338, फैक्स- (0141)2731952, www.jaininfo.org

हरियाणाः-

171. श्री लख्मीमल जैन छात्रवृत्ति ट्रस्ट, अग्रवाल मेटल वर्क्स लिमिटेड, झज्झर रोड, रेवाड़ी-123 401, हरियाणा
172. श्री आत्मानंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी (ए.आई.एम.टी.), जैन कॉलेज रोड, अम्बाला सिटी-134 003, हरियाणा, फोन- (0171) 2518570 (का.), टेलीफैक्स- (0171) 2518670, E-mail- director@aimtambala.com, aimtdirector@gmail.com

अमेरिकाः-

173. Dr. Arvind Shah, 36-Regent Dr. Oak, Brook IL- 60521, U.S.A. (offers Scholarships to Jain Students in U.S.A)
174. Boston Jain Center, 83-Fuller Brook Road, Wellesley MA 02181, U.S.A. (for Jain Students in New England States)
175.. Jain Foundation INC, 9725-Third Avenue, NE, Suite, 204-Stattle, Washington- 98115, U.S.A., Phone- (425) 8821492, Fax-(425) 6581703, E-mail-admin@jainfoundation.org

लेखिका के बारे में

नाम	:	बबीता जैन
जन्म स्थान	:	मोदीनगर (यूपी)
शिक्षा	:	एमए (अर्थशास्त्र), बीएड।
वर्तमान व्यवसाय	:	शिक्षण
शौक	:	स्तरीय हिंदी साहित्य सृजन।

श्रीमती बबीता जैन मोदीनगर के एक धार्मिक और प्रसिद्ध सामाजिक परिवार में पैदा हुई थीं। बचपन से ही वह एक मेधावी छात्रा थीं। उन्होंने मोदीनगर से स्वर्ण पदक के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता श्री रमेश चंद जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता और कई धार्मिक संस्थानों से जुड़े थे। वह बचपन से ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाली थीं।

शादी के बाद उन्होंने एक सद्गृहणी बनने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान वह कई सामाजिक गतिविधियों में लगीं रहीं। बारह वर्षों तक वह वंचित छात्रों को निःशुल्क पढ़ा रही थीं। 2011 में, उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया और सरकारी क्षेत्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालाँकि वह पेशे से शिक्षक हैं लेकिन लेखन का जुनून है और हिंदी साहित्य में अपने फ्रीलांसर लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। वह उप-संपादक के रूप में मासिक पत्रिका 'दिव्य देशना' से जुड़ी हुई हैं। उनकी प्रथम पुस्तक "समाज सुधारक भारतीय महिलाएँ" राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हो चुकी हैं।

वह अल्पसंख्यक अधिकारों के कार्य से बहुत जुड़ी हुई हैं और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन कर चुकी हैं। वह उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन से निकटता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक लाभों पर विभिन्न स्रोतों से सारी जानकारी एकत्र कर उसे इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों को इस पुस्तक में एक ही स्थान पर रखा गया। अगर इस पुस्तक में कुछ भी छूट गया है, तो उसे लेखिका को सूचित किया जा सकता है ताकि इसके अगले संस्करण में संकलित किया जा सके।

संपर्क : द्वितीय आर एम, 112 ए, सेक्टर-2, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद - 201005

जिला : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

ई-मेल : babita73jain@gmail.com

आचार्य शांतिसागर 'छाणी' परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य राष्ट्रसंत पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज

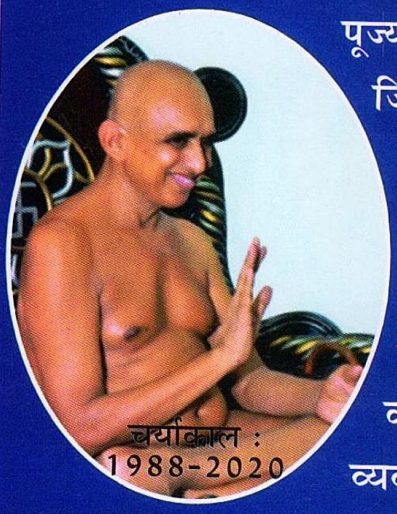

पूज्यश्री थे एक मुक्ति साधक, एक समन्वयी मानवात्मा, जिनके अंतस् में होता था अध्यात्म, विज्ञान और कला का अपूर्व संगम; एक अनूठा सर्जन और अद्भुत समवाय एकांतिकता का अनेकांतिकता में। उनके उदार और उदात्त चिंतन के प्रकर्ष से भारतीयता को एक नई वितति प्राप्त हुई है। उनके संवेदी चित्त में बसा एक ऐसा कलाकार था जिसकी मर्मज्ञ दृष्टि में, प्रत्येक कर्म में, व्यवहार में एक व्यवस्था थी, निज पर शासन था, पुरातन की अधुनातन व्याख्या का सामर्थ्य था जो अतीत और वर्तमान के बीच सहज ही बना लेता था एक सेतुबंध, समन्वय का और इन सबसे आगे झलकता प्रतिपल उनका पारदर्शी मन, जो उनके अनुक्षा-ऊर्ध्वग-स्वरूप को उदात्ततम स्वरूप में प्रस्तुत करता रहा।

श्रुत संवर्द्धन संस्थान

मेरठ (उ०प्र०)